



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 ई०

भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या- 1115/VIII-1/2026-60(श्रम)2019

देहरादून, 25 अगस्त, 2026

अधिसूचना

चूंकि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 67 के अधीन समुचित सरकार (राज्य सरकार) को उक्त संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है;

और चूंकि उक्त संहिता की धारा 67 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार "उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026" का प्रस्तावित प्रारूप श्रम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 329(1)/VIII-1/26-60(श्रम)/2019, दिनांक 17 मार्च, 2026 द्वारा पूर्व प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जनसामान्य और हितधिकारियों के अभ्यावेदन एवं आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतएव, अब राज्यपाल मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्-

उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. (1) इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "प्राधिकारी" से धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ग) "अपील" से धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन की गई अपील अभिप्रेत है;
 - (घ) "बोर्ड" से धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;
 - (ङ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - (च) "संहिता" से मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) अभिप्रेत है;
 - (छ) "समिति" से धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति अभिप्रेत है;
 - (ज) "दिन" से मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;
 - (झ) "परिवार" से, यथास्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार के निम्नलिखित सभी या कोई नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात्—

(क) पति/पत्नी;

(ख) अवयस्क धर्मज या दत्तक बालक, जो, यथार्थिति किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मचार पर आश्रित हो;

(ग) कोई बालक, जो यथार्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार के उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित हो और जो—

(i) 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा प्राप्त कर रहा हो; और

(ii) कोई अविवाहित पुत्री;

(घ) कोई बालक, जो शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यतः या क्षति के कारण शिथिलांग है और, यथार्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार के उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित है, जब तक अंग शैथिल्य बना रहता है;

(ङ) आश्रित माता-पिता (जिसके अंतर्गत किसी महिला कर्मचारी के सास-ससुर भी हैं) जिनकी आय सभी स्रोतों से ऐसी आय से अधिक नहीं है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए;

(च) यदि, यथार्थिति, कोई कर्मचारी या कोई असंगठित कर्मकार अविवाहित है और उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्ण रूप से आश्रित अवयरक भाई या बहिन;

(ज) "प्रपत्र" से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ट) "धारा" से मजदूरी संहिता 2019 की धारा अभिप्रेत हैं;

(ठ) "निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता" से धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ड) "सदस्य" से बोर्ड/समिति/उपसमिति का सदस्य अभिप्रेत है;

(ढ) "भौगोलिक क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो;

- (ग) "जनसंख्या" से वह जनसंख्या जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है और जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, अभिप्रेत है;
- (त) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ" से वह ट्रेड यूनियन जो व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का अधिनियम संख्या 16) अथवा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) जैसी स्थिति हो के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, अभिप्रेत है;
- (थ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (द) "अनुसूची" से इस नियमावली की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ध) "अकुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय जिसमें केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल सम्मिलित नहीं है, अभिप्रेत है;
- (न) "अर्ध कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय जिसमें इसके निष्पादन में कार्य अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और जिसका उपयोग कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में किया जा सकता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है;
- (प) "कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय जिसमें तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अथवा ऐसे कार्य अनुभव जिसमें कौशल और योग्यता की आवश्यकता होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, अभिप्रेत है;
- (फ) "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय जिसमें इसके निष्पादन में विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की आवश्यकता होती है और जिसके लिए व्यावसायिक व्यापारिक अनुभव या पर्याप्त अवधि के लिए तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित

होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में शामिल अपने मत या निर्णय के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करे, अभिप्रेत है;

- (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और जिनको परिभाषित नहीं किया गया है उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता में हैं।

अध्याय-2

न्यूनतम मजदूरी

मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति

3. (1) धारा 6 की उपधारा (5) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मापदंड को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी नियत की जाएगी, अर्थात्:-
- (क) मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें कमाने वाले कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चे शामिल हैं, जो तीन वयस्क उपभोग इकाइयों के समान हैं;
 - (ख) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु कुल (शुद्ध सेवन) 2700 कैलोरी की खपत;
 - (ग) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा;
 - (घ) आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा;
 - (ङ) ईंधन, बिजली, और व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी की 20 प्रतिशत होंगी;
 - (च) बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्यकताएं मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय, जो भोजन और वस्त्र व्यय का 25 प्रतिशत होगा,
 - (छ) अन्य मदें व कारक जो राज्य सलाहकार बोर्ड आवश्यक समझे।
- (2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की

जाती है, तब एक घंटे की दर नियत करने के लिए ऐसी राशि को आठ से विभाजित और एक महीने के लिए मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जाएगा, और ऐसे विभाजन और गुणा में आधे या आधे से अधिक गुणनखंड को अगले अंक में पूर्णांकित किया जाएगा और आधे से कम गुणनखंड को छोड़ दिया जाएगा। पांच दिन के कार्य सप्ताह के मामले में इस प्रकार परिकलित न्यूनतम मजदूरी की घंटा-वार का उपयोग उस दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए किया जाएगा।

- (3) धारा 6 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ कर्मकारों के ऐसे प्रवर्गों के लिए जैसे-तापमान या सामान्यतः नमी को सहन करने, परिसंकटमय उपजीविकाएं या प्रक्रियाएं अथवा भूमिगत कार्य में संलग्न कर्मकारों को विहित सामान्य मजदूरी दर के अलावा आधिक्य मजदूरी भी देय होगी जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। परिसंकटमय उपजीविकाएं व प्रक्रियाएं वहीं होंगी, जो उपजीविकाजन्य, सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 में यथापरिभाषित हैं। अन्य संबंधित प्रक्रियाओं तथा हिम रेखा के संबंध में कार्य करने की दशाओं को निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, आपदा प्रबन्धन विभाग के नामित अधिकारी, अपर श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड तथा उप निदेशक, कारखाना, उत्तराखण्ड सम्मिलित रहेंगे जिसमें श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड अध्यक्ष होंगे।

मजदूरी की न्यूनतम दर 4. नियत करने के मानदंड

- (1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करते समय, राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी;
- (i) भौगोलिक क्षेत्र,
 - (ii) रोजगार के क्षेत्र में अनुभव, और
 - (iii) अकुशल, अर्ध-कुशल और अत्यधिक कुशल की श्रेणियों के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपेक्षित कौशल का स्तर:

परन्तु राज्य सरकार इस संहिता के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और भत्ते निर्धारित नहीं करेगी।

- (2) धारा 6 के अधीन राज्य सरकार कौशल वर्गीकरण, कार्य की कठिनाता, जोखिमकारी व्यवसाय अथवा प्रक्रियाएं एवं भूमिगत कार्य और ऐसी अन्य कार्य-वर्गीकरण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ एक तकनीकी समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे -

(i)	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड	-	अध्यक्ष
(ii)	उप/संयुक्त सचिव, श्रम उत्तराखण्ड शासन	-	सदस्य
(iii)	संयुक्त/अपर श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड	-	सदस्य
(iv)	कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग का एक प्रतिनिधि (जो उप निदेशक के पद से निम्न न हो)	-	सदस्य
(v)	राज्य सरकार द्वारा यथा नाम-निर्देशित मजदूरी निर्धारण में दो तकनीकी विशेषज्ञ	-	सदस्य
(vi)	नियोजकों एवं ट्रेड यूनियन प्रत्येक के दो से अनधिक प्रतिनिधि	-	सदस्य

- (3) राज्य सरकार, उपनियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति की सलाह पर, कर्मचारियों के व्यवसाय को अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट व्यवसायों को संशोधित करके, हटाकर अथवा कोई भी प्रविष्टि जोड़कर चार वर्गों में अर्थात् अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल वर्गों में वर्गीकृत करेगी।

- (4) उपनियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति उपनियम (3) के अधीन राज्य सरकार को सलाह देते समय यथासम्भव व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण अथवा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे अथवा व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाये जा रहे अन्य समान ढांचे को ध्यान में रखेगी।

- मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समय अंतराल
5. यह प्रयास किया जाएगा जिससे निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में रियायत के नकद मूल्य की गणना हर वर्ष एक बार 1 अप्रैल से पूर्व और पुनः 1 अक्टूबर से पूर्व न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते को संशोधित करने के लिए की जा सके।
- धारा 10 के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ मामले एवं परिस्थितियां
6. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अन्तर्गत किसी स्थापन में लागू स्थायी आदेशों में अथवा समय-समय पर लागू किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय, कोई भी कर्मचारी पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी पाने का हकदार नहीं होगा, यदि काम में विफलता नियोक्ता द्वारा अपनाई गई उचित छंटनी के कारण होती है।
- स्पष्टीकरण— उचित छंटनी के कारण से नियोक्ता द्वारा आग, प्राकृतिक आपदा, मशीनरी का खराब होना, बिजली आपूर्ति बंद होना, महामारी, नागरिक अशांति, अवैध हड़ताल, आर्डर की कमी या कोई अन्य व्यापारिक कारण या नियोक्ता के नियंत्रण के बाहर कोई अन्य समान या असमान कारणों से की गई छंटनी अभिप्रेत है।
- एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घंटों की संख्या
7. (1) धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन —
- (i) किसी स्थापन/कारखाना/सरकारी स्थापन में किसी सप्ताह में किसी कर्मकार को अड़तालीस घण्टे और एक दिन में दस घण्टे से अधिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा और न ही उसे ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी तथा किसी कर्मकार से निरंतर पांच घण्टे से अधिक कार्य करने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा, जब तक कि उसे आधे घण्टे से अधिक का विश्राम न दे दिया गया हो:
- परन्तु अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य की दशा में कार्य के घण्टे या साप्ताहिक विश्राम में निरीक्षक— सह-सुकरकर्ता की पूर्व अनुज्ञा से छूट दी जा सकेगी।
- (ii) एक दिन में दस घण्टों या अधिक या किसी

सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक किसी कार्य के घण्टों को अतिकालिक समझा जाएगा और अतिकालिक घण्टों की कुल संख्या तीन मास की अवधि में एक सौ चवालीस घंटे से अधिक नहीं होगी।

- (2) किसी भी स्थापन में किसी पाली में कार्य के कुल घण्टों की संख्या, जिसके अन्तर्गत विश्राम अन्तराल भी है, बारह घण्टों से अधिक नहीं होगी।
- (3) कृषि रोजगार में नियोजित कर्मचारी के मामले में उपनियम (1) और (2) के उपबन्ध राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले संशोधनों के अधीन होंगे।

विश्राम का साप्ताहिक दिन

8.

- (1) इस नियम के उपबन्धों के अधीन कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह एक दिन को विश्राम दिया जाएगा (इसके पश्चात् "विश्राम दिवस" के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सामान्य रूप से रविवार होगा, लेकिन नियोक्ता सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को किसी भी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों की श्रेणी के लिए विश्राम दिवस नियत कर सकता है:

परन्तु यह कि छह दिन के कार्य सप्ताह में या छह दिनों से कम के कार्य सप्ताह जैसा भी मामला हो, ऐसे कर्मचारियों के लिए सप्ताह के शेष दिनों का भुगतान किया जाएगा:

परन्तु यह कि एक कर्मचारी इस उपनियम के तहत विश्राम दिनों के लिए हकदार होगा यदि उसने छह दिन के सप्ताह के मामले में एक ही नियोक्ता के अधीन कम से कम छह दिनों की निरंतर अवधि के लिए या छह दिन से कम कार्य सप्ताह के मामले में कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की निरंतर अवधि के लिए काम किया है, जैसा भी मामला हो:

परन्तु यह और कि कर्मचारी को विश्राम दिवस के रूप में नियत दिन और बाद में विश्राम दिवस में परिवर्तन की सूचना परिवर्तन करने से पहले

निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में रोजगार के स्थान पर विनिर्दिष्ट स्थान पर सूचना प्रदर्शित करके दी जाएगी।

स्पष्टीकरण-इस उपनियम के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट सप्ताह में कम से कम छह दिनों की निरंतर अवधि या कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए,-

(क) किसी दिन जब कर्मचारी का कार्य करना अपेक्षित है किन्तु यदि उसे केवल उपस्थिति भत्ता दिया जाता है और उसे काम नहीं दिया जाता है,

(ख) किसी दिन जब कर्मचारी को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35), के अधीन प्रतिकर के भुगतान कर काम से हटा दिया जाता है, और

(ग) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को छह दिनों की अवधि में या सप्ताह के निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या के दौरान विश्राम दिवसों से ठीक पहले दी गई कोई भी छुट्टी या अवकाश चाहे वह वेतन सहित हो या बिना वेतन के उन दिनों के रूप में मानी जाएगी जिन दिनों कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी भी ऐसे कर्मचारी को विश्राम दिवस पर काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा या अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह विश्राम दिवस के तुरन्त पहले या बाद में सप्ताह के कार्यदिवसों में से किसी पूरे एक दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिवस न ले ले अथवा न ले:

परन्तु यह कि कोई भी प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को पूरे विश्राम दिवस के बिना 10 दिन काम करना पड़े।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार जहां कोई भी कर्मचारी विश्राम दिवस पर काम करता है और उसे

विश्राम दिवस के पहले या बाद में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया जाता है तब काम के साप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ विश्राम दिवस को, उस सप्ताह में गिना जाएगा जिसमें प्रतिस्थापित विश्राम दिवस आया है।

(4) कर्मचारी को:

- (क) विश्राम दिवस के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर परिकलित मजदूरी दी जाएगी; और
- (ख) जहां पर वह विश्राम दिवस पर काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है तब उसे अतिकाल (over time) दर से और विश्राम दिन के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर से मजदूरी दी जाएगी:

परन्तु यह है कि जहां—

- (i) संहिता के अधीन न्यूनतम कर्मचारी मजदूरी दर की गणना न्यूनतम दर मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से विभाजित करके की जाती है; अथवा
- (ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर की गणना मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से विभाजित करके की जाती है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं है, तब विश्राम दिवस के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और
- (iii) कर्मचारी ने विश्राम दिवस को काम किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है तब उसे केवल उसी विश्राम दिवस के लिए अतिकाल (over time) दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया है और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस उपबंध के उपबन्धों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब क्षेत्राधिकार रखने वाले सहायक श्रम आयुक्त या

उच्चतर अधिकारी इस सम्बन्ध में उन्हें किए गए आवेदन पर, सम्बन्धित पक्षों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात् उसके दिए गये आवेदन पर उसका निर्णय लेगा:

परन्तु यह कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती कार्य की दर के आधार पर नियोजित है, तब विश्राम दिवस अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिए, यथास्थिति मजदूरी वह होगी जिसे राज्य सरकार उस रोजगार के संबंध में इस संहिता के अधीन नियत मजदूरी की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निर्धारित करे।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम में पूर्ववर्ती दिन से वह अंतिम दिन अभिप्रेत है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिवस या प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के पहले, यथास्थिति, आता है, और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, विश्राम दिवस से तुरन्त अगले दिन आता है तब उससे ठीक पहले वाला पूर्ववर्ती दिन से वह अंतिम दिन अभिप्रेत होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिवस के ठीक पहले आता हो।

- (5) इस नियम के उपबन्ध अधिक अनुकूल शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई है, नहीं डालेंगे, जिसमें कर्मचारी किसी अन्य विधि के अधीन अथवा किसी पंचाट, अनुबंध अथवा सेवा की संधिदा की शर्त के अधीन हकदार है, और ऐसी दशा में, कर्मचारी केवल पूर्वकथित अनुकूल शर्तों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ "सप्ताह" से शनिवार रात्रि की अर्ध-रात्रि से शुरु होकर सात दिन की अवधि, अभिप्रेत है।

रात्रि पाली

9. जहां पर कर्मचारी ऐसी रोजगार में पाली में काम करता है जो अर्ध-रात्रि के पश्चात् भी चलती है, तब—

- (क) नियम 8 के प्रयोजनार्थ, इस मानले में पूर्ण विश्राम दिवस से, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरु होकर लगातार चौबीस घंटे की अवधि, अभिप्रेत है; और

- (ख) ऐसे मामले में अगला दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के बाद के घंटों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

धारा 13 की उपधारा (2) 10.
के अधीन आकस्मिकता

नियम 7 के उपबंध ऐसे विस्तार और शर्तों के अधीन रहते हुए कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के संबंध में लागू होंगे - यदि कर्मचारी -

- (क) ऐसी आपातस्थिति में कार्यरत है जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था या उसे रोका नहीं सकता था;
- (ख) प्रारम्भिक या संपूरक प्रकृति के कार्यों में लगा हुआ है जिसे अनिवार्य रूप से सम्बन्धित रोजगार में सामान्य कार्य के लिए निर्धारित सीमाओं से बाहर करना आवश्यक है;
- (ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से आंतरायिक है;
- (घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है जिसे तकनीकी कारणों से ड्यूटी समाप्त होने से पूर्व पूरा किया जाना है; और
- (ङ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियंत्रित क्रिया पर निर्भर समय के सिवाय अन्य समय पर नहीं किया जा सकता है;

तब नियम 7, 8, और 9 के उपबन्ध इस शर्त के अधीन लागू होंगे कि -

- (i) कर्मचारी के कार्य के घंटों का विस्तार किसी भी कार्य दिवस को 12 घंटे से अधिक का नहीं होगा।
- (ii) कर्मचारी के कार्य के वास्तविक घंटे, (विश्राम के समय अथवा कार्य के दौरान ऐसी अवधि) जिसमें कर्मचारी को कार्य/उपस्थिति दर्शाना अनिवार्य न हो को सम्मिलित करते हुए, 10 घंटे से अधिक नहीं होंगे।

लम्बी मजदूरी अवधि

11. धारा 14 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।

अध्याय-3

मजदूरी का भुगतान

धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के उपखण्ड (ii) के अधीन कटौती

12. राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित किसी निधि से लिया गया ऋण और उसके संबंध में शोध्य ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश अथवा परिपत्र के अधीन होगी, जो ऐसे ऋण को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करते हैं।

धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन वसूली

13. जहां धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत कुल कटौतियां कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक हैं, तब अतिरिक्त राशि को अग्रणीत किया जाएगा और उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, यथास्थिति, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी कि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी

14. धारा 19 की उपधारा (1) के प्रयोजन हेतु सहायक श्रम आयुक्त एवं उच्च अधिकारी प्राधिकारी होंगे।

धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सूचना प्रदर्शित करने की रीति

15. धारा 19 की उपधारा (2) में संदर्भित सूचना को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोजगार किया जाता है, प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक सम्बन्धित कर्मचारी सूचना की विषय-वस्तु को आसानी से पढ़ सके, जो प्रपत्र 'क' में होगी और सूचना की एक प्रति संहिता की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार एवं क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के पास भेजी जाएगी।

धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन कार्यविधि

16. (1) धारा 19 की उपधारा (3) के अनुसार नियोक्ता द्वारा संबंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या लिखित रूप में कर्मचारी द्वारा समझे जाने वाली भाषा में कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा, जिसमें शास्ति लगाने का कारणों व कर्मचारी द्वारा किए गए कृत्यों और उपेक्षाओं

का विवरण निर्दिष्ट होगा, जो शास्ति अधिरोपित किए जाने के औचित्य सिद्ध करते हैं। कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए कम से कम 15 दिन का अवसर दिया जायेगा।

- (2) कर्मचारी का पक्ष प्राप्त होने या पक्ष रखने हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियोक्ता शास्ति लगाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरणों की लिखित रूप में सूचना नियम 14 में उल्लिखित अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर दिया जायेगा। जो स्वीकृति को प्रदान या इंकार करने से पहले सम्बन्धित कर्मचारी और नियोक्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा। स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सम्बन्धी निर्णय उल्लिखित अधिकारी द्वारा नियोक्ता से सूचना प्राप्त होने के तीन सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

- (3) नियम 14 में उल्लिखित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित किया जाएगा। ऐसी शास्ति अधिरोपण की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जायेगी।

कटौती की सूचना

17. (1) जब कोई नियोक्ता धारा 20 की उपधारा (2) के उपबंध के अनुसरण में, कोई कटौती करने का आशय रखता है, तो संबंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या लिखित रूप में कर्मचारी द्वारा समझे जाने वाली भाषा में कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा, जिसमें कटौती का कारण, व पूर्ण विवरण निर्दिष्ट होगा, जो कटौती अधिरोपित किए जाने के औचित्य सिद्ध करते हैं। कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए कम से कम 15 दिन का अवसर दिया जायेगा। आरोप स्थापित होने पर, धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जाएगी।

- (2) यदि संबंधित कर्मचारी से 15 दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो नियोक्ता ऐसी कटौती करेगा और ऐसी कटौती की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

- (3) नियोक्ता द्वारा ऐसी कटौती की तारीख से 10 दिनों के भीतर क्षेत्राधिकारिता वाले सहायक श्रम आयुक्त अथवा उच्च अधिकारी को देगा। अवैधानिक कटौती की स्थिति में सहायक श्रम आयुक्त अथवा उच्च अधिकारी संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए विधिसम्मत कार्यवाही करेगा।

धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन कटौती की प्रक्रिया

18. (1) कोई नियोक्ता, जो धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की मजदूरी से क्षति या हानि के लिए कटौती करने का आशय रखता है, नियोक्ता द्वारा संबंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या लिखित रूप में कर्मचारी द्वारा समझे जाने वाली भाषा में कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा, जिसमें कर्मचारी को सौंपे गये माल की क्षति या हानि के मूल्य के संबंध में कारण दर्शाना होगा। कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए कम से कम 15 दिन का अवसर दिया जायेगा:

परन्तु यदि कटौती एक से अधिक कर्मचारी या कर्मकार की जाती है, तो कारण बताओ नोटिस को लिखित आदेश प्रत्येक कर्मचारी या कर्मकार को अलग-अलग सूचित किया जाएगा।

- (2) आरोप स्थापित होने पर, धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जाएगी।
- (3) यदि संबंधित कर्मचारी से 15 दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो नियोक्ता कर्मचारी की मजदूरी से ऐसी कटौती करेगा और ऐसी कटौती की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।
- (4) कटौती के संबंध में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के समझे जाने वाली भाषा में आदेश किया जाएगा।
- (5) नियोक्ता द्वारा ऐसी कटौती की तारीख से 10 दिनों के भीतर क्षेत्राधिकारिता वाले सहायक श्रम आयुक्त अथवा उच्च अधिकारी को देगा। अवैधानिक कटौती की स्थिति या नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है तो कारण दर्ज करते हुए सहायक श्रम आयुक्त अथवा उच्च अधिकारी संबंधित

मामले की सुनवाई करते हुए विधिसम्मत कार्यवाही करेगा।

धारा 23 के अधीन अग्रिम 19. वसूली के सम्बन्ध में शर्तें

किसी कर्मचारी को दिये गये धन के अग्रिम की वसूली के लिए कटौती, जैसा मामला हो—

(i) धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात् कर्मचारी को दी गयी अग्रिम धनराशि; अथवा

(ii) किसी कर्मचारी का वेतन का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खण्ड (ग) के अधीन अर्जित नहीं किया है, का भुगतान नियोक्ता द्वारा निर्धारित किशतों में सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन में नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, ताकि कोई एक किशत अथवा सभी किशतें उस वेतन अवधि में कर्मचारी की वेतन अवधि में वेतन के पचास प्रतिशत से अधिक न हो तथा ऐसी वसूली का विवरण प्रपत्र-1 में रखे गए पंजिका में दर्ज किया जाएगा।

धारा 24 के अधीन कटौती

20. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनिमित्त करने वाले समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश अथवा जारी परिपत्र के अधीन होगी।

अध्याय-4

राज्य सलाहकार बोर्ड

राज्य सलाहकार बोर्ड का स्वरूप एवं प्रक्रिया

21. (1) मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण एवं पुनरीक्षण के मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से एवं सलाहकार बोर्डों के कार्यों के समन्वय के लिये राज्य सरकार, राज्य सलाहकार बोर्ड की गठन करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड में अनुसूचित नियोजनों के नियोजकों एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि नामनिर्देशित किए जाएंगे जैसा कि संहिता की धारा 42 की उपधारा

(6) के खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) में उल्लेख है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संहिता की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के अनुरूप स्वतंत्र व्यक्तियों को नामित किया जाएगा।

(3) धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की संख्या 6 से कम नहीं होगी। इसी प्रकार उस उपधारा की खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या 6 से कम नहीं होगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा संहिता की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्देशित स्वतंत्र व्यक्ति निम्नवत् होंगे:-

- (i) प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम पदेन - अध्यक्ष
- (ii) श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड पदेन - सदस्य सचिव
- (iii) 04 अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे।

(5) राज्य सरकार, बोर्ड के सदस्यों को नामित करते समय, इस बात को ध्यान में रखेगी कि उपनियम (2) के अधीन स्वतन्त्र सदस्य, बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई से अधिक नहीं होंगे और बोर्ड के सदस्यों में से एक तिहाई महिलाएं होंगी।

(6) सलाहकार बोर्ड और समितियाँ:-

सलाहकार समितियों एवं उप समितियों का गठन इत्यादि में ऐसे व्यक्ति नामनिर्देशित किये जाएंगे जोकि अधिसूचित नियोजनों के नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनकी संख्या बराबर होगी एवं 6 से अधिक नहीं होगी। समितियों एवं उप समितियों में स्वतन्त्र व्यक्ति भी नामनिर्देशित किये जाएंगे जिनकी संख्या कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। समितियों अथवा उप समितियों का अध्यक्ष श्रम आयुक्त के पद से निम्न का न होगा।

अध्यक्ष के कार्य

22. अध्यक्ष:-

- (i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, किन्तु किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने बीच में से बहुमत से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा;
- (ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे;
- (iii) जब बोर्ड की बैठक में, यदि कोई मुद्दा मतदान द्वारा निर्णित किया जाना है, तो बैठक में गुप्त मतदान कराएंगे तथा मत गणना करेंगे अथवा कराएंगे।

बोर्ड की बैठक

23. अध्यक्ष, नियम 22 के उपबंधों के अध्वधीन, किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता है:

परन्तु यह कि न्यूनतम आधे सदस्यों से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर, अध्यक्ष ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर प्रत्येक सदस्य को सूचना देगा।

बैठक का नोटिस

24. अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय एवं स्थान का निर्धारण करेंगे तथा उक्त विवरण को शामिल करते हुए बैठक की कार्यसूची के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व पंजीकृत डाक एवं इलैक्ट्रोनिक ढंग से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा:

परन्तु यह कि आकस्मिक बैठक के मामले में प्रत्येक सदस्य को केवल 7 (सात) दिन का नोटिस भी दिया जा सकता है।

गणपूर्ति

25. किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा तब तक कि न्यूनतम एक तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों में से प्रत्येक का न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित न हो:

परन्तु यह कि, यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हैं तो अध्यक्ष मूल बैठक की

तारीख से अधिकतम 7 दिन के लिए बैठक स्थगित कर सकते हैं तथा ऐसी स्थगित बैठक में किए गये कार्य वैध होंगे भले ही उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ भी हो:

परन्तु यह और कि ऐसी स्थगित बैठक की तारीख एवं समय सभी सदस्यों को इलैक्ट्रानिक ढंग से अथवा पंजीकृत डाक से सूचित किया जाएगा।

बोर्ड के कार्य का निपटान

26.

बोर्ड के सभी कार्यों पर बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा तथा उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वालों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष, यदि उचित समझे, तो निर्देश दे सकते हैं कि किसी मामले के सम्बन्ध में निर्णय आवश्यक दस्तावेजों के परिचालन तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करने के बाद किया जाएगा:

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक के अंतर्गत किसी मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कि न्यूनतम दो तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

बोर्ड के अतिरिक्त कार्य

27.

धारा 42 की उपधारा (4) में बोर्ड के निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त ऐसे अन्य मामलों पर भी, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाए, बोर्ड राज्य सरकार को सलाह देगा।

मतदान की रीति

28.

बोर्ड में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा:

परन्तु यदि कोई सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेते हैं, तो मतदान गुप्त बैलेट द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित ढंग से कराया जाएगा।

बैठकों की कार्यवाहियां

29.

(1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरन्त बाद हर स्थिति में अगली बैठक से सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य तथा राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएगी।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठकों की कार्यवाहियों की अगली

बैठक में आवश्यक समझ जाने वाले संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ पुष्टि की जाएगी।

साक्षियों को बुलाना एवं 30.
दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

(1) अध्यक्ष, अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान यदि अपेक्षित हो तो किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में प्रस्तुत होने तथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे बुलाया जाता है तथा जो बोर्ड के समय साक्षी के रूप में प्रस्तुत होता है, वह अपने द्वारा किए गए खर्च के लिए सिविल न्यायालय के सम्मक्ष प्रस्तुत होने वाले साक्षियों को देय भत्ते के भुगतान के लिए उस समय प्रवृत्त मानक के अनुसार उनके द्वारा किये गये खर्च के लिए भत्ते पाने का हकदार होगा।

समितियों की नियुक्ति

31. राज्य सरकार धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अन्तर्गत उस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी यह आवश्यक समझे, उतनी समितियां गठित कर सकती है, जो श्रम आयुक्त की श्रेणी से अन्यून की अध्यक्षता में कार्य सम्पादन करेगी।

बोर्ड, समितियों व उप
समितियों के सदस्यों का
कार्यकाल

32. (1) प्रत्येक गैर सरकारी अथवा पदेन सदस्य में हर एक सदस्य का कार्यकाल, यथास्थिति धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन उसकी नियुक्ति अथवा नामांकन, जो भी मामला हो, की तारीख से दो वर्ष का होगा।

परन्तु यह कि ऐसे सदस्य, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति होने के बावजूद राज्य सरकार की अनुमति से अपने पद पर बने रहेंगे।

(2) बोर्ड के सदस्यों में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न होने पर किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित किये जाना है, तो वह उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए पद पर बना रहेगा, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्देशित किया गया है।

(3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका स्थान उनके जैसे अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाए।

- (4) उपनियम (1), (2) एवं (3) में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्य राज्य सरकार की इच्छापर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

यात्रा भत्ता

33. बोर्ड के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों को अपने कर्तव्यों के संबंध में की गई किसी यात्रा के लिए निम्नवत यात्रा भत्ता (Travel Allowance) देय होगा:-

(1) बोर्ड के किसी सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता (Travel Allowance) सरकारी कर्तव्य पर उसके द्वारा निष्पादित की गयी यात्रा के लिए उस पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जायेगा और उसके वेतन का संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा संदत्त किया जायेगा।

(2) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता (Travel Allowance) ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा, जो राज्य सरकार में लेवल-10 के अधिकारी को संदेय है, और दैनिक भत्ते की गणना उनके संबंधित स्थानों में राज्य सरकार में लेवल-10 के अधिकारी को लागू दर पर की जायेगी।

अधिकारी एवं कर्मचारीगण

34. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा बोर्ड के पदेन सचिव के रूप में कार्य किया जाएगा एवं श्रम आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों द्वारा बोर्ड को आवश्यक कार्यकारी सहायता प्रदान की जाएगी।

बोर्ड के सदस्यों के पुनर्नामांकन हेतु पात्रता

35. एक निवर्तमान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए पुनर्नामांकन हेतु पात्र होगा।

बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का त्यागपत्र

- (1) अध्यक्ष के अतिरिक्त, बोर्ड का सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है तथा अध्यक्ष राज्य सरकार को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं।

- (2) त्यागपत्र, इसकी स्वीकृति की सूचना की तारीख अथवा त्यागपत्र की तारीख के 30 दिन की समाप्ति जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

- (3) जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है अथवा होने की संभावना होती है, तो अध्यक्ष तुरंत इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा तथा राज्य सरकार संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु उपाय करेगी।
- सदस्यता का समाप्त होना 37. यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होता है, तो बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।
- अयोग्यता 38. (1) कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नाम निर्देशित होने के लिए अयोग्य होगा—
- (i) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; अथवा
- (ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; अथवा
- (iii) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पहले अथवा बाद में उसे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी पाया गया है।
- (2) यदि उपनियम (1) के अधीन अयोग्यता के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
- गलतियों का शुद्ध किया जाना 39. (1) राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियम या पुनरीक्षित करने वाले आदेश में की लेखन या गणित सम्बन्धी भूलों को या किसी आकस्मिक भूल या लोप में उसमें हुई गलतियों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय शुद्ध कर सकेगी;
- (2) ऐसी हर अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र सलाहकार बोर्ड के समक्ष जानकारी के लिए रख दी जाएगी।

अध्याय-5

बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

धारा 44 की उपधारा (1) के 40. खण्ड (क) के अधीन भुगतान

(1) (क) प्रत्येक कर्मचारी भुगतान से पहले प्रपत्र II में घोषणा करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति को नामित किया जाएगा जिसे यह अधिकार दिया जाएगा कि उस कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी जमा पूंजी उसे देय होगी।

(ख) यदि नामित करते समय कर्मचारी का अपना परिवार है तो यह नामांकन उसके पति/पत्नी अथवा उसके परिवार के एक या उसके अधिक सदस्यों के साथ उसकी पति/पत्नी के पक्ष में किया जाएगा:

परन्तु यह कि अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में परिवार रखने वाले कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन अमान्य होगा:

परन्तु यह और कि कर्मचारी द्वारा विवाह के बाद अपने पति/पत्नी के लिए नया नामांकन किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किए गए किसी नामांकन को अमान्य समझा जाएगा।

(ग) जिन मामलों में नामांकन किसी अवयस्क के पक्ष में पूर्णतः या अंशतः किया जाता है उसमें कर्मचारी अपने परिवार के किसी व्यस्क व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो उस अवयस्क नामिति का अभिभावक होगा अथवा जहां परिवार में कोई व्यस्क व्यक्ति नहीं है, तो वह अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामिति का अभिभावक नियुक्त कर सकता है।

(घ) यदि कर्मचारी एक से अधिक सदस्य को नामित करता है तो वह नामांकन में अपने विवेकानुसार प्रत्येक नामित व्यक्तियों को देय राशि अथवा हिस्से का उल्लेख करेगा ताकि उसकी संपूर्ण जमापूंजी की राशि का भुगतान किया जा सके।

(2) जब संहिता के अधीन कर्मचारी को देय कोई धनराशि उसकी मृत्यु अथवा उसका निवास पता न होने के कारण उसको देनी बकाया है, तथा इस धनराशि के कर्मचारी को देय होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामांकित को यह धनराशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह धनराशि क्षेत्राधिकार वाले सहायक श्रम आयुक्त या उच्च अधिकारी के पास जमा की जाएगी, जो कर्मचारी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के बाद, राशि जमा होने के दो माह के भीतर उसका भुगतान करेगा।

धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन असंवितरित बकाया जमा करना

(1) जहां इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को देय कोई धनराशि कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस धनराशि के देय होने की तारीख से छह माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामांकित को इस धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण धनराशि छह माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन की समाप्ति से पूर्व उस क्षेत्राधिकार वाले सहायक श्रम आयुक्त या उच्च अधिकारी के पास जमा की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ पृथक से एक बैंक खाता खोला जाएगा और उसमें संबंधित धनराशि जमा की जाएगी तथा क्षेत्राधिकार रखने वाले प्राधिकारी द्वारा इसका रिकार्ड भी रखा जाएगा।

- धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन असंवितरित देयों के निपटान का तरीका
42. (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट धनराशि नियोक्ता द्वारा उस क्षेत्राधिकार वाले सहायक श्रमायुक्त या उच्च अधिकारी के पास बैंक अंतरण के माध्यम से अथवा भारत में किसी अनुसूचित बैंक से ऐसे सहायक श्रमायुक्त अथवा उप श्रम आयुक्त के पक्ष में जारी रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।
- (1) नियम 41 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट धनराशि (इसके पश्चात इस नियम में धनराशि के रूप में संदर्भित) सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले सहायक श्रमायुक्त या उच्च अधिकारी के पास जमा की जायेगी तथा वह उसे राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करेगा अथवा किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखेगा।
- (2) सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के सहायक श्रम आयुक्त या उच्च अधिकारी यथाशीघ्र धनराशि से संबंधित विवरणों के साथ, जिसे सूचनार्थ सहायक श्रम आयुक्त या उच्च अधिकारी उचित समझे, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस प्रदर्शित करेगा। तत्पश्चात संबंधित कर्मकार के परिवार या आश्रितों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या पारिवार सदस्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। मृतक कर्मिक के वारिसों एवं अनापत्ति के आधार पर किसी एक या अधिक को संबंधित देय का भुगतान किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में विधि अनुसार क्लेम जिसे देय हो उसे/घोषित उत्तराधिकारी को संबंधित भुगतान देय होगा।
- (3) यदि यह संवितरित धनराशि सात वर्ष में लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस सम्बन्ध में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा-निर्देशित ढंग से किया जाएगा।

अध्याय-6

प्रपत्र, रजिस्टर एवं वेतन पर्वी

एकल आवेदन का प्रपत्र

43. (1) धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत प्रपत्र-III में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में एकल आवेदन मैन्युअल अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जा सकता है।

(2) यदि धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत किए गए आवेदन पर विचार किया जाता है तो प्राधिकारी नियोक्ता को प्रपत्र IV में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजेगा कि वह इस नोटिस में निर्धारित तारीख को सभी संबंधित दस्तावेजों और साक्षी यदि कोई हों, के साथ उसके समक्ष उपस्थित हो और निर्धारित की गई तारीख की सूचना आवेदक को देगा।

(3) यदि नियोक्ता अथवा उसका प्रतिनिधि निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई करेगा और उस पर एक पक्षीय निर्णय देगा।

(4) यदि आवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि अग्रिम रूप से कोई तर्क संगत कारण दिए बिना निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई करेगा और उस पर एक पक्ष पक्षीय निर्णय देगा।

अपील

44. (1) धारा 45 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रपत्र-V में अपीलकर्ता द्वारा वर्णित दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा अपील कर सकता है:

परन्तु यह कि किसी नियोक्ता द्वारा की गई कोई अपील को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक अपील करते समय अपीलकर्ता अपीलीय अधिकारी के पास दावा की गई राशि जमा नहीं करता है।

(2) यदि धारा 49 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी अपील पर विचार किया जाता है तो अपीलीय अधिकारी प्रतिवादी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रपत्र-IV में नोटिस देगा कि वह उसके समक्ष नोटिस में निर्धारित तारीख को उपस्थित हो और इस प्रकार निर्धारित तारीख के संबंध में अपीलकर्ता को सूचित करेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता और प्रतिवादी के साथ सुनवाई करने के बाद आदेश द्वारा अपील पर निर्णय लेगा।

रजिस्टर इत्यादि का प्रपत्र 45.

(1) धारा 19 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट सभी जुर्माने एवं उनकी वसूलियों का विवरण इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-I के रूप में नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले पंजिका में इलेक्ट्रॉनिक ढंग में अथवा अन्यथा रखा जाएगा तथा उक्त उपधारा (8) में संदर्भित प्राधिकारी उस क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त एवं उच्च अधिकारी होंगे।

(2) धारा 21 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी कटौतियों एवं वसूलियों का विवरण इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-I (नियोक्ता द्वारा) रखे जाने वाले पंजिका में इलेक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा अन्यथा रखा जाएगा।

(3) किसी भी स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता जिस पर यह संहिता लागू होती है, वह धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन प्रपत्र-I तथा प्रपत्र-VI में इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य किसी रूप में पंजिका रखेगा।

वेतन पर्ची

46. प्रत्येक नियोक्ता वेतन के भुगतान के समय अथवा उससे पहले धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रपत्र-VII में अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्यथा ढंग से वेतन पर्ची जारी करेगा।

धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन जांच अधिकारी की नियुक्ति 47. राज्य सरकार द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति पृथक से आदेश द्वारा की जायेगी।
नियुक्ति

धारा 56 की उपधारा (1) एवं उपधारा (4) के अधीन शास्ति के अधिरोपण एवं अपराध के शमन की रीति 48. (1) कोई दोषी व्यक्ति यदि धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का शमन चाहता है, तो वह उक्त उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित अधिकारी को प्रपत्र-VIII में इलेक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा अन्यथा आवेदन कर सकता है।

(2) उपनियम (1) में अधिसूचित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर यह सुनिश्चित करेगा कि यह अपराध संहिता के अधीन शमन योग्य है या नहीं और यदि अपराध शमन योग्य है तो संहिता के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत धनराशि तक शमन किया जा सकेगा। अधिसूचित अधिकारी अपराध के शमन हेतु किये गये आवेदन की जांच भी कर/करा सकता है।

अध्याय-7

विविध

निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता द्वारा निर्वहन की जाने वाली अन्य शक्तियां 49. धारा 51 में यथानिर्दिष्ट प्रदत्त शक्तियों के साथ-साथ निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए नियोक्ताओं और कर्मचारों को संहिता के उपबंधों का अनुपालन करने संबंधी सलाह देगा और राज्य सरकार द्वारा यथा समनुदेशित स्थापनों का निरीक्षण करेगा।

वेतन का भुगतान 50. जहां कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है, वहां, वह कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो उस प्रतिष्ठान का मालिक है, ठेकेदार को संहिता के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन के संबंध में उसे देय राशि का भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "फर्म" का वही अर्थ होगा जो इसका अर्थ भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है।

- श्रमजीवी पत्रकारों के लिए 51. राज्य सरकार, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 (2020 का 37) की धारा 2 के खण्ड (घमड) में यथा परिभाषित स्वास्थ्य और कार्य श्रमजीवी पत्रकारों के लिए संहिता के अंतर्गत न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ऐसे निर्धारण के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करने हेतु धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित कर सकती है।
- न्यूनतम बोनस के भुगतान 52. जहां किसी प्रतिष्ठान में, कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं तथा ठेकेदार धारा 26 के अंतर्गत उनको न्यूनतम बोनस का भुगतान करने में असफल हो जाता है, वहां, कंपनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के परन्तुक में यथा संदर्भित अन्य कोई व्यक्ति, कर्मचारियों अथवा किसी पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा संघों जिनके कर्मचारी सदस्य है, द्वारा ऐसी असफलता की लिखित सूचना दिए जाने पर तथा इसकी पुष्टि करने पर कर्मचारियों को इस न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा।
- वार्षिक विवरणी 53. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 (2020 का 37) के अंतर्गत बनाए गए नियमों में किसी प्रतिष्ठान, जिस पर यह संहिता लागू होती है, के प्रत्येक नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए निर्धारित प्रपत्र के संबंधित कॉलमों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी दाखिल की जाएगी। ऐसी विवरणी की एक प्रति श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित की जाएगी:
- परन्तु यह कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने की स्थिति में पृथक से किसी अन्य श्रम संहिताओं के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- विभाग की आधिकारिक 54. इस नियमावली को उनके अंतिम अधिसूचना की तारीख से वेबसाइट पर अपलोड करना एक महीने के भीतर श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

निरसन एवं व्यावृत्ति

55. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) वेतन संदाय नियमावली, 1936 एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) न्यूनतम वेतन नियमावली, 1952 इस नियमावली के अंतिम अधिसूचना की दिनांक से निरस्त मानी जाएगी।
- (2) उपनियम (1) के अधीन इस तरह के निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमावलियों के अधीन की गयी कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत उनके अधीन कोई अधिसूचना, नामनिर्देशन, नियुक्ति, आदेश या निदेश या किसी प्रयोजन के लिए ऐसी नियमावलियों के किसी उपबंध के अधीन उपबन्धित मजदूरी की राशि सम्मिलित है, को ऐसे प्रयोजन के लिए इस नियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई या उपबन्धित समझा जाएगा और और वह उस सीमा तक जिस तक वह इस नियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है, इस नियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन या राज्य सरकार की उस प्रभाव की अधिसूचना द्वारा निरसित किये जाने तक प्रवृत्त रहेगी।
- (3) उपनियम (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के प्रावधान ऐसी नियमावलियों के निरसन पर लागू होंगी।

आज्ञा से,

डॉ० श्रीधर बाबू अर्दाकी,
सचिव।

प्रपत्र 'क'
मजदूरी संहिता की धारा 19 (2) के अधीन नोटिस
नियम 15 देखें

.....स्थापन का पूर्ण पता एवं नाम
.....कर्मचारी का पदनाम एवं कर्मचारी कोड सहित नाम

मजदूरी संहिता 2019 की धारा 19 (1) के अधीन
कार्य और चूक सम्बन्धी विवरण

1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

दिनांक:

नियोक्ता/नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :

- (1) सम्बन्धित क्षेत्र के निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता।
- (2) मजदूरी संहिता की धारा 19 (1) के अधीन प्राधिकारी।

प्रपत्र-I

(नियम 19 तथा नियम 45 देखें)

वेतन, अग्रिम वसूली, अतिकाल, जुर्माना, नुकसान और क्षति के लिए कटौती सम्बन्धी पंजिका

स्थापन का नाम :

नियोक्ता का नाम

स्वामी का नाम:

नियोक्ता पैन/टैन

श्रम पहचान संख्या (एलआईएम)

कर्मचारी पंजिका में क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम / विभाग	वेतन में भुगतान की अवधि (मासिक/मासिक/साप्ताहिक/दैनिक/घंटे में रेटेड)	वेतन की अवधि से-तक	अवधि के दौरान कार्य किए गए दिवसों की कुल संख्या	कुल अग्रिम टाइम (काग किए गए घंटे अथवा खंड कामगारों के मास में उत्पादन)	वेतन की दरें		
							मूल वेतन	डीए	भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ओवर टाइम से आय	कृत्यों एवं चूक की प्रकृति जिसके लिए जुर्माना लगाया गया का तारीख के साथ विवरण	लगाए गए जुर्माने की राशि	कर्मचारी की लापरवाही अथवा चूक से नियोक्ता को होने वाली क्षति अथवा नुकसान	वेतन से कटौती की राशि	भुगतान किए गए वेतन की कुल राशि	भुगतान की तारीख	उपस्थिति	
							तरीख	हस्ताक्षर
11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्रपत्र-II
(नियम 40 देखें)
नामांकन प्ररूप

1. नामांकन करने वाले व्यक्ति का नाम :
(बड़े अक्षरी में)
2. पिता/पति/पत्नी का नाम :
3. जन्म तारीख :
4. लिंग :
5. वैवाहिक स्थिति :
6. पता :
स्थायी :
अस्थायी :

मैं मेरी मृत्यु होने पर नियोक्ता से मुझे देय किसी रकम को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को एतद्द्वारा नामित करता/करती हूँ/पूर्व में मेरे द्वारा किए गए नामांकन को रद्द करती हूँ तथा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को एतद्द्वारा नामित करता/करती हूँ।

नामिति/ नामितियों के नाम	पता	नामिति का कर्मचारी के साथ संबंध	जन्म तारीख	जमा संचयी रकम के अंश की कुल रकम जो प्रत्येक नामिति को भुगतान की जाए	यदि नामिति नाबालिग है तो संरक्षक का नाम, संबंध तथा पता जो नामिति के नाबालिग रहने के दौरान रकम प्राप्त करें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. प्रमाणित करता हूँ कि मेरा कोई परिवार नहीं है तथा यदि इसके बाद यदि मेरा परिवार होता है तो उपर्युक्त नामांकन को रद्द माना जाए।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता/माता गुप्त पर आश्रित हैं।
3. जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।

कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे स्थापन में नियोजित श्री/श्रीमती/कुमारी—द्वारा प्रविष्टि/प्रविष्टियों को पढ़कर या मेरे द्वारा उसके समक्ष पढ़ने के पश्चात तथा दोनों मामलों में उसके द्वारा पुष्टि किए जाने पर उसने उपर्युक्त घोषणा और नामांकन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं/अंगूठा निशान लगाया गया है।

नियोक्ता या स्थापन के अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
स्थान
तारीख:

कारखाने/स्थापन का नाम, पता तथा रबर मुहर

प्रपत्र-III

नियम 43 देखें

(धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन एकल आवेदन
मजदूरी संहिता 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष
..... के लिए क्षेत्र.....

आवेदन संख्या 20..... का
क, ख, ग (संख्या का उल्लेख करें) और.....अन्य.....आवेदक
(सम्बन्धित कर्मचारियों अथवा रजिस्ट्रीकृत ध्यापार अथवा निरीक्षक सह-सुकरकर्ता के माध्यम से)
पता
और
.....क्ष, त्र, झ
पता.....
के बीच

इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

- (1) आवेदक जिनका (जिनके) नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं,में शामिल (कार्य की प्रकृति, जो मजदूरी संहिता 2019 द्वारा आच्छादित होती है/हैं।) श्री/मैसर्स.....के.....(स्थापन) में.....से.....तक(श्रेणी) के रूप में नियुक्त किया गया था/है।
- (2) प्रतिवादी मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2 (ठ) के अधीन नियोजता है/हैं।
- (3) (क) आवेदक (आवेदकों) को.....से.....तक की अवधि के लिएरुपये प्रतिदिन के हिसाब से इस संहिता के अधीन कर्मचारी (कर्मचारियों) की उनकी श्रेणी (यों) के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया है।
(ख) आवेदक (आवेदकों) को.....से.....तक विश्राम के साप्ताहिक दिनों के लिएरुपये प्रतिदिन के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
(ग) आवेदक (आवेदकों) को.....से.....तक की अवधि के लिए अतिरिक्त दर (दरों) पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
(घ) आवेदक (आवेदकों) को.....से.....तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
(ङ) आवेदक (आवेदकों) के वेतन (नों) से जो कटौती की गई है यह इस संहिता का उल्लंघन है। कटौती का ब्यौर जिसका ब्यौरा इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबन्ध में दर्शाया गया है।
(च) आवेदक (आवेदकों) को लेखा वर्षके लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।
- (4) आवेदक प्रत्येक धनराशि पर स्वयं द्वारा मांगी गई राहत का मूल्य निम्नानुसार आंकलित करता/करते हैं:-
(क)रुपये।
(ख)रुपये।
(ग)रुपये।
कुलरुपयें।
- (5) अतः आवेदक अनुरोध करता है/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 (2) अधीन निम्नलिखित के लिए निर्देश जारी किया जाए:
(क) संहिता के अधीन देय वेतन और वास्तव में भुगतान किए गए वेतन के बीच के अन्तर का भुगतान।
(ख) विश्राम के दिवसों के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान।
(ग) अतिकाल दरों पर वेतन का भुगतान।
(घ)रुपये का मुआवजा।

आवेदक एतद्द्वारा यह घोषणा करता है/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनकी अधिकतम जानकारी विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य है।
दिनांक.....।

नियुक्त किए गए व्यक्ति (यों) अथवा किसी पंजीकृत ट्रेड
यूनियन द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा
निरीक्षक सह सुकरकर्ता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

टिप्पणी:-आवेदक यदि आवश्यक हो तो इस आवेदन के साथ ब्यूरो से सम्बन्धित अनुबन्ध संलग्न कर सकता है/सकते हैं।

प्रपत्र IV

(देखें नियम 43 और नियम 44)

(क) धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन प्राधिकारी द्वारा उत्तरदाता को जारी किए जाने वाले नोटिस का प्रारूप

(आवेदन का शीर्षक)

सेवा में

नाम

पता

जबकि— (आवेदक का नाम) ने मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन मुझे उपर्युक्त आवेदन किया है, अतः आपको एतद्वारा मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से या पूर्णतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रकट होने के लिए तलब किया जाता है, तथा आवेदन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा या आपके द्वारा पूर्ण रूप से प्राधिकृत साथ आए किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने अपेक्षित हैं जो—20— के दिन पूर्वाह्न/अपराह्न को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो या आवेदन में दावे का उत्तर देने में सक्षम होंगे क्योंकि प्रकट होने हेतु विनिर्दिष्ट दिन आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियत है, अतः आपको उस दिन अपने बचाव में सभी गवाह जिनके साथ तथा सभी दस्तावेज जिन पर आप आश्रित हैं, को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऊपर उल्लिखित दिवस को आपके उपस्थित रहने में असफल रहने पर, आवेदन पर विचार किया जाएगा तथा आपकी अनुपस्थिति में ही निपटा दिया जाएगा।

दिनांक—

प्राधिकारी के मुहर के साथ हस्ताक्षर

(ख) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उत्तरदाता को जारी किए जाने वाले नोटिस का प्रारूप

(अपील का शीर्षक)

सेवा में

नाम

पता

इस बात का संज्ञान लें कि मजदूरी संहिता 2019 की धारा 49 के अधीन एक अपील (जिसकी प्रति संलग्न है) इस अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष (अपील करने वाले का नाम) द्वारा प्रस्तुत की गई है, तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अपील की सुनवाई हेतु 20 के का दिन विनिर्दिष्ट किया गया है।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं या इस अपील में आपकी तरफ से कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो आपके अनुपस्थिति में इस अपील पर सुनवाई की जाएगी तथा विनिश्चय लिया जाएगा।

दिनांक

प्राधिकारी के मुहर के साथ हस्ताक्षर

प्रपत्र-V
(नियम 44 देखें)

मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष मजदूरी संहिता 2019 की धारा 49 (1) के अधीन
अपील

क ख ग

पता.....अपीलकर्ता

बनाम

ग घ ङ

पता.....प्रतिवादी

अपील का ब्यौरा :

1. उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है:-

संख्या और तारीख :-

प्राधिकारी जिसने प्रश्नगत आदेश जारी किया है :

प्रदान की गई राशि :

प्रदान किया गया मुआवजा, यदि कोई हो :

2. मामले के तथ्य :-

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक संभव हो प्रत्येक प्रस्तर में एक अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेख किया जाए)

3. अपील के आधार :

4. वैसे मामले जिन्हें पहले दर्ज नहीं किया गया अथवा जो किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपील प्राधिकारी के पास लंबित ना हो।

अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले के सम्बन्ध में जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका अथवा सूट किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका का वाद उनमें से किसी के पास लंबित है।

5. मांगी गई राहत ऊपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता है।

(नीचे मांगी गई राहत (तों) का उल्लेख करें)

6. अनुलग्नों की सूची

1.

2.

3.

तारीख :

स्थान

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए.....

दायर करने की तारीख

अथवा

डाक प्राप्त करने की तारीख

पंजीकरण संख्याप्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रपत्र-VI

(नियम 45 देखें)

कर्मचारी रजिस्टर

स्थापन का नाम:.....।

नियोक्ता का नाम:.....।

स्वामी का नाम:.....।

नियोक्ता पैन/टैन:.....।

श्रम पहचान संख्या (एलआईएन):.....।

क्रम संख्या	कर्मचारी कोड	नाम	उपनाम	लिंग	पिता/पति /पत्नी का नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रता	शैक्षणिक स्तर	कार्य ग्रहण की तारीख	पदनाम	श्रेणी (एग्रएस/एसएसयूएस)*	सेवानाश्र का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मोबाइल संख्या	यूएएन	पैन	ईएलआईएन आईपी संख्या	आधार	बैंक खाता संख्या	बैंक	बैंक शाखा (आईएफएससी)	वर्तमान पता	स्थाई पता
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

सेवा पुस्तिका संख्या	छोड़ने की तारीख	छोड़ने का कारण	पहचान चिन्ह	फोटो	नयून हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	अधिकृतता
24	25	26	27	28	29	30

*(अति कुशल/कुशल/अर्धकुशल/अकुशल)

प्रपत्र-VII
(नियम 46 देखें)

वेतन पर्ची

जारी करने की तारीख:

स्थापन का नाम.....पता.....अवधि.....

1. कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति/पत्नी का नाम :
3. पदनाम :
4. यूएन :
5. बैंक खाता सं. :
6. वेतन अवधि :
7. देय वेतन के दर : (क) मूल (ख) महंगाई भत्ता (ग) अन्य भत्ते
8. कुल उपस्थिति/किए गए कार्य की मात्रा:
9. अतिरिक्त वेतन :
10. देय सकल वेतन :
11. कुल कटौती : (क) भविष्य निधि (ख) ईएसआई (ग) अन्य
12. भुगतान किया गया शुद्ध वेतन :

नियोक्ता/वेतन प्रभारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-VIII
(नियम 48 देखें)

अपराध के कृत्य के लिये धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति-पत्नी का नाम :
3. आवेदक का पता :
4. अपराध का विवरण :
5. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है
:
6. इस संहिता के अधीन अपराध के लिये प्रदान किया गया अधिकतम जुर्माना
:
7. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अभियोजन लम्बित है या नहीं
:
8. क्या यह अपराध प्रथम अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि
हाँ, तो, पहले अपराध का पूर्ण विवरण दें।
:
9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक प्रदान करना चाहता हो
:

दिनांक

आवेदक
(नाम और हस्ताक्षर)

अनुसूची "क"
(नियम 4(3) देखें)

क्रम सं०	अकुशल
1	बेलदार,
2	ग्वाला,
3	चरवाहा,
4	क्लीनर (मोटर शेड, ट्रैक्टर, पशु.-अहाता, एम.टी.),
5	घारा एकत्रित करना,
6	डेयरी कुली,
7	मजदूर (बागवान, डेयरी में फूस के ढेर लगाना, सिंचाई, गोबर के ढेर लगाना, दूध दोहने का कक्ष राशन कक्ष स्टोर, मलेरिया, -रोधी, एम०आर०),
8	चालक (खच्चर, बैल, ऊँट, गधा),
9	ड्रेसर,
10	चालक (बैल, खच्चर),
11	गड़रिया,
12	डेयरी कामगार,
13	स्टोर मजदूर,
14	वाहक(पत्थर),
15	तोड़ना (दस्ती औजारों के इस्तेमाल से),
16	हैल्पर,
17	संदेशवाहक (कार्यालय),
18	माली,
19	सईस,
20	फूस बाँधने और ले जाने वाला,
21	स्वीपर,
22	गट्टर तोलने और ले जाने वाला,
23	तुलाईकार (गटठर पल्ली),
24	पानी वाला,
25	सईस,
26	ट्राली मैन,
27	वाल्च कर्मी,
28	पहरेदार,
29	सफेदी करने वाला,
30	लकड़हारा,
31	लकड़हारा (स्त्री),
32	बोरीमैन,
33	कोयला कर्मी,
34	कंडेनसर,
35	परिचालक,
36	घास काटने वाला,
37	मुच्छड़ जमादार,

38	कंडेनसर परिचालक,
39	शन्टरा,
40	टर्नर
41	बजरी फैलाने वाला,
42	कूटने वाली महिला,
43	बेल-महिला,
44	घेन कर्मी,
45	घोट मैन,
46	बकेट मैन,
47	श्रमिक (बॉयलर, पशु अहाता, खेती, सामान्य भार चढ़ाना-उतारना, बंडिंग, कार्टिंग-फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग, विधिक बीज-अंकुरण, बीज बोना, छाजन, प्रत्यारोपण, खरपतवार की छंटाई),
48	क्लीनर (क्रेन, ट्रक, राख के गड्डे के लिये सुलगता कोयला),
49	कार्टमैन,
50	रखवाल (पुल),
51	वाहक (जल),
52	चौकीदार,
53	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला),
54	दफादार,
55	चालक (बैल, ऊँट, गधा, खच्चर)
56	फ्लैग मैन,
57	फ्लैग मैन (ब्लास्ट ट्रेन),
58	मशीनो पर काम न करने वाला खलासी,
59	गैंगमैन,
60	ग्रेटिंगमैन (स्थायी मार्ग),
61	हैंडर मैन, जम्पर मैन,
62	कमीन (महिला कामगार),
63	खलासी,
64	मेरिन,
65	मोपलाह,
66	स्टीम रोड,
67	रॉलर सर्वेक्षण,
68	श्रमिक (बगीचा),
69	मजदूर,
70	छिद्र काटने वाला,
71	लॉरी प्रशिक्षु
72	पेट्रोल मैन,
73	सर्चर,
74	सिग्नल मैन,
75	स्ट्राईकर,
76	दैक्स नियंत्रक,
77	क्लीनर,
78	ट्रेसर/ट्रेसिंग मजदूर,
79	लोडर,

- 80 मजदूर (पुरुष/महिला),
- 81 संदेशवाहक (पुरुष/महिला),
- 82 ट्रेमर
- 83 रखवाल (कॉपर, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों के अलावा जहाँ यह अर्धकुशल हैं),
- 84 कार्यालय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों के अलावा),
- 85 स्वीपर (पुरुष/महिला),
- 86 संवाहक,
- 87 नंबर टेकर,
- 88 ट्रॉली ट्राईपर,
- 89 वाटर कैरियर,
- 90 मृदा कटर,
- 91 सर्वेक्षण खलासी,
- 92 गैटमैन,
- 93 कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
- 94 विखण्डन भंडार,
- 95 लैम्पमैन,
- 96 बेलदार/बेलदार (कैंटीन),
- 97 कुली,
- 98 चपरासी,
- 99 रस्सोइये का सहायक,
- 100 ऑफिस बॉय,
- 101 खदान कामगार,
- 102 जेली बनाने वाला,
- 103 अधि भारित अपसारक,
- 104 अपशिष्ट अपसारक मजदूर,
- 105 उतारने वाला,
- 106 उत्खनन श्रमिक,
- 107 खोदने वाला,
- 108 कसाई,
- 109 परिचारक,
- 110 लॉरी सहायक,
- 111 सतही लोड़र,
- 112 लकड़हारा,
- 113 सहती,
- 114 भूमिगत मुकर,
- 115 स्ट्राइकर (मोपलाह रैंग),
- 116 टॉल बॉय,
- 117 टाईल,
- 118 लादने और उतारने में नियोजित व्यक्ति,
- 119 पैकर
- 120 किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अकुशल प्रकृति के स्वीपिंग और क्लीनिंग तथा अन्य वर्गों में नियोजित व्यक्ति।

क्रम सं०	अर्धकुशल
1	सहायक (चौकीदार),
2	परिचालक (बुल-काल्विंग लाईन्स, चौकीदार, घाफ कटर, होस्टल, शुष्क स्टॉक, अनाज भंजक, पम्प, सीकल
3	अस्तबल, अहाता स्टॉक,
4	सहायक नलसाज,
5	परिचारक,
6	भिरित,
7	ब्रान्डर
8	बुलमैन,
9	बटरमैन,
10	कोचमैन,
11	मोची,
12	खेतिहर,
13	दफ्तरी,
14	डिलीवरीमैन,
15	धोबी,
16	ड्रेसर,
17	फायरमैन,
18	गवाला,
19	हैमरमैन,
20	हैल्पर (लुहार),
21	जमादार (स्टैण्ड),
22	जमादार,
23	खलासी,
24	माली बरिष्ठ,
25	मैट / मिसत्री,
26	मजदूर (शिक्षित),
27	नलबन्द,
28	ऑयलमैन,
29	हल वाला,
30	वीटकर्त,
31	पर्यवेक्षक,
32	छप्पर,
33	वाल्मैन,
34	वाल्मैन (वरिष्ठ),
35	टिन केबलें लगाने वाला वायरमैन,
36	रसोइया,
37	डेन्डी,
38	फ्राश,
39	आरी कामगार,
40	हैल्पर (लॉको क्रेन / ट्रक),
41	मांझी (बोटमैन),

42	बेल्यावाला
43	मुक्काडेम (धात्विक बुलडोजर धालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र के बिना)
44	मिस्ति (मुश्क के साथ),
45	बोटमैन (मुख्य),
46	ब्रेकर,
47	ब्रेकर (पत्थर, चट्टान, पहाड़ी पत्थर, पत्थर धातु),
48	कैनवीवर,
49	चैनमैन (मुख्य),
50	धारपाई बुनकर,
51	चेकर,
52	क्रैकर,
53	डॉलीमैन,
54	सहायक,
55	ड्रिलर,
56	सुचालक (त्वचा),
57	उत्खनक,
58	फेरीमैन,
59	फायरमैन (ईट भट्टा, वाष्प रोड रोलर),
60	द्वारपाल,
61	घरानी,
62	क्लासमैन,
63	ग्रेटर,
64	ग्रीजर-सह-फायरमैन,
65	ग्राइन्डर,
66	हैमरमैन,
67	हैल्पर (काशीगर),
68	हैल्पर (आराकस),
69	कीमैन,
70	खलासी (मुख्य पर्यवेक्षक, रिवटर्स-गोपलाह गैंग, पर्यवेक्षी),
71	श्रमिक (पत्थर-काटना),
72	लारकर,
73	माली (मुख्य),
74	स्टॉकर्स और वॉयलरमैन,
75	थूमबामैन (फावडा कामगार),
76	टिनडेल्स,
77	ट्रालीमैन (हैड मोटर),
78	फिटर (सहायक अर्ध-कुशल),
79	जमादार (अर्ध कुशल),
80	मेट (पत्थर),
81	कसाव,
82	खलासी (संरचनात्मक),
83	मसालघी पी०एम०मेड्स
84	खनिक,

- 85 अप्रशिक्षित मेट/खनन मेट/धात्विक बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र के बिना मेट,
- 86 बटलर/रसोइया,
- 87 ब्रेकर (मशीनी उपकरणों के इस्तेमाल से),
- 88 शिशु-सदन आया/आया/अप्रशिक्षित शिशु-सदन परिचारक,
- 89 सहायक ड्रिलर,
- 90 ऑयलमैन/ऑयलर,
- 91 चौकीदार/वॉचमैन,
- 92 हैल्पर (राजमिस्त्री, बड़ई, लुहार),
- 93 टिन्डेल्स,
- 94 टोपाज़,
- 95 टोपकार (बड़ा पत्थर भंजक),
- 96 ट्रॉली जमादार,
- 97 विंचमैन,
- 98 उपस्थिति-रखवाल,
- 99 सहायक वायरमैन,
- 100 मेट,
- 101 मेट (लुहार, सड़क, बड़ई),
- 102 इंजिन ड्राईवर और/या फीडर,
- 103 फिटर,
- 104 गैंग,
- 105 मजदूर राजमिस्त्री,
- 106 स्थायी मार्ग,
- 107 पम्प चालक, टर्नर,
- 108 मजदूर (हेवी-वेट),
- 109 चार्जमैन,
- 110 मिस्त्री (मुख्य),
- 111 मुकाडम,
- 112 रात्रि-गार्ड,
- 113 रनर (पोस्ट डाक),
- 114 ऑयल मैन,
- 115 खदान परिचारक,
- 116 खदान कर्मी,
- 117 स्टॉनमैन,
- 118 स्टॉकर,
- 119 थैयर,
- 120 पम्प परिचारक,
- 121 बिथरर,
- 122 ब्रेकमैन,
- 123 क्राउलडर मैन,
- 124 प्रयोगशाला सहायक,
- 125 पॉइन्टरसमैन सेनकम्मी,
- 126 पत्थर खान तथा अर्ध-कुशल प्रकृति की किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली श्रेणियाँ

क्र०स०	कुशल
1	शिल्पकार (श्रेणी-II, III, IV).
2	लुहार,
3	लुहार (श्रेणी-II).
4	बॉयलरमैन,
5	बढ़ई,
6	बढ़ई (श्रेणी-II) बढ़ई-सह-लुहार,
7	चौकीदार,
8	चालक,
9	चालक (इंजन ट्रैक्टर, एम.टी.मोटर).
10	इलेक्ट्रीशियन,
11	फिटर,
12	राजमिस्त्री,
13	राजमिस्त्री (श्रेणी-II).
14	मशीन हैण्ड (श्रेणी-II, III, IV).
15	मशीनरमैन,
16	मेट ग्रेड 1 (वरिष्ठ),
17	मैकेनिक,
18	मिल्क राईटर,
19	मिस्त्री (मुख्य),
20	गॉउल्डर,
21	मस्टर राईटर,
22	प्रचालक (ट्यूबवेल),
23	पेन्टर,
24	नलसाज,
25	वेल्डर,
26	पेशिशशसाज,
27	वायरमैन,
28	चिपर,
29	चिपर-सह-ग्राइन्डर,
30	रसोइया (मुख्य),
31	ड्रिलर,
32	ड्रिलर (कुआँ खोदना),
33	चालक (लोको/ट्रक),
34	इलेक्ट्रीशियन (सहायक),
35	मैकेनिक (ट्यूब-वेल),
36	मिस्त्री (स्टेल, ट्यूबवेल टेलीफोन),
37	मीटर रीडर,
38	मौसम अवलोकनकर्ता नवधानी,
39	प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प शेल्फ, कम्प्रेसर, ग्रेन, डोरिक, डीजल इंजिन,

	डोजर, ड्रेगलिंग डम्बर, उत्खनक, फार्क लिफ्ट जेनेरेटर, ग्रेडर, जैक हैमर एवं पेयमेंट ब्रेकर लोडर
	पम्प, पाइल ड्राइविंग, स्क्रेपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवल, ट्रैक्टर, वाईब्रेटर, वेट-बेचर, रेलवे गार्ड,
	मरम्मत (बैटरी)),
40	शार्पर/स्लोटर,
41	स्प्रेयर (अशाल्ट) स्टेशन मास्टर,
42	पर्यवेक्षक (सिल्ट),
43	ट्रेड्स मैन,
44	ट्रेन जाँचकर्ता,
45	टर्नर/मिलर,
46	टायरवल्केनाइजर,
47	आराकस,
48	आराकस (चयन ग्रेड श्रेणी-II सेरंग),
49	सेरंगपाइल,
50	बॉयलर सहित ड्राइविंग पेनटूम्स,
51	शीप्समैन,
52	पाली प्रभारी,
53	स्प्रेयरमैन,
54	स्प्रेयरमैन (सड़क),
55	पत्थर काटनेवाला,
56	पत्थर काटनेवाला (चयन ग्रेड गेड II श्रेणी-II),
57	स्टॉन विस्तर,
58	स्टॉन चिरलर (श्रेणी-II),
59	स्टॉन ब्लास्टर,
60	उप-पर्यवेक्षक (निर्हक),
61	पर्यवेक्षक,
62	पम्प चालक,
63	पम्प चालक (चयन ग्रेड), ग्रेड II और III श्रेणी-II),
64	पम्प चालक (चयन ग्रेड, पी.ई. चालक),
65	पम्पमैन,
66	पम्पमैन (सहायक),
67	नलसाज,
68	पोलीशर (स्प्रे के साथ) ग्रेड-II]
69	रतन मैन,
70	रिविट कटर (सहायक),
71	रिविटर,
72	रिविटर (कटर),
73	सड़क निरीक्षक गेड II, रेलवे प्लेट लेयर,
74	रोड बेन्डर,
75	हॉलेज प्रचालक,
76	औषाधालय परिचारक,
77	वर्क सकर,
78	अभ्रक कटर ग्रेड-I
79	ड्रेसर ग्रेड-I अभ्रक,

80	पर्यवेक्षी फायरमैन,
81	केवल खानों में फायरमैन,
82	कम्प्रेसर चालक,
83	पम्प मैन चालक 96, अग्रक खानों में ग्राइन्डर,
84	पर्यवेक्षक (सहायक),
85	दर्जी,
86	दर्जी (तोशक),
87	ट्रांसप्रेयर,
88	टार मैन,
89	लाइन मैन,
90	टाइलर श्रेणी-II]
91	दीवार (फर्श, छत),
92	टाईलर (चयन ग्रेड),
93	टिन-स्मिथ,
94	टिन स्मिथ (चयन ग्रेड, ग्रेड II और II श्रेणी-II),
95	वैल सिन्कर,
96	सहायक मिरत्री,
97	आर्मेचर वाइन्डर ग्रेड II और III,
98	भण्डारी,
99	लुहार,
100	लुहार (चयन ग्रेड, ग्रेड II, III और III),
101	बॉयलरमैन,
102	बॉयलरमैन ग्रेड II और III,
103	फोरमैन ग्रेड II,
104	कार्य (सहायक),
105	ब्रिकलेयर,
106	ब्रिकलेयर (चयन ग्रेड II),
107	ब्लास्टर,
108	चौकीदार (मुख्य),
109	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र),
110	बढ़ई,
111	बढ़ई (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III और III सहायक),
112	बी0आई0एम0मार्ग,
113	केबिनेट बनाने वाला,
114	केनमैन,
115	सेलोटेक्ता,
116	कटर मेकर चार्जमैन, (द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी बड़ी साधारण)
117	चेकदर (कनिष्ठ),
118	चिक निर्माता,
119	चिक मैन (कनिष्ठ) कंक्रीट मिक्सजयोर मिक्कर,
120	कंक्रीट मिक्सचर प्रचालक,
121	मोची,
122	कोरमेकर,

123	चालक,
124	चालक मोटर वाहन,
125	मोटर वाहन चयन ग्रेड,
126	मोटरलोरी,
127	मोटर लोरी ग्रेड I,
128	लोरी ग्रेड II,
129	डीजल इंजन,
130	डीजल इंजन ग्रेड II,
131	मैकेनिकल रोड रोलर आईसी और सीमेंट मिक्सर आदि.
132	रोड रोलर,
133	रोड रोलर ड्राईवर,
134	चालक इंजन स्टेटिक स्टोन केशर), ट्रैक्टर बुलडोजर, स्टीम रोड रोलर, वॉटर पंप, मैकेनिकल सहायक, रोडरोलर, मैकेनिकल, स्टीम, क्रैन, बुल डोजर, मैकेनिकल, सहित ट्रैक्टर, परिवहन, इंजन स्टेटिक और रोडरोलर बॉयलर परिचर,
135	इंजन परिचालक (स्टोन केशर मैकेनिकल),
136	डिस्टेम्पर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड II श्रेणी II और श्रेणी III,
137	फिटर,
138	फिटर चयन ग्रेड, ग्रेड II और III और III सहायक पाइप श्रेणी II पाइप लाइन बंद करने वाले लट्टे,
139	सुदृढीकरण सह-मैकेनिक और प्लम्बर,
140	घरामी (प्रमुख),
141	घलेजियर (शीशा जड़ने वाला),
142	ब्लास्टिंग के लिये होल ड्रिलर,
143	जोइनर,
144	जोइनर (केबल, केबल ग्रेड II).
145	लाईन मैन (ग्रेड II, III उच्च तनाव/निम्न तनाव),
146	राजमिस्त्री,
147	राजमिस्त्री (चयन ग्रेड, ग्रेड II, III और श्रेणीपूर्व 'क' मिस्त्री),
148	स्टोन (स्टोन क्लास II ईट वर्क, स्टोन वर्क),
149	ईट परत,
150	टाईल बिछाना,
151	बी.आई.एम. मुकदम प्रमुख,
152	पत्थर काटना,
153	साधारण मैकेनिक,
154	मैकेनिक,
155	मैकेनिक (श्रेणी II, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग ग्रेड III)
156	डीजल ग्रेड II
157	रोड रोलर ग्रेड II
158	सहायक (रेडियो)
159	राज मिस्त्री (घरामी),
160	मिस्त्री,
161	मिस्त्री ग्रेड II, एयर कंडीशनिंग ग्रेड II, पी वे, सर्वे, संतरा कार्य),
162	राज मिस्त्री श्रेणी क,
163	माउलडर,

164	माउलडर (ईट, टाइल),
165	पेंटर,
166	पेंटर (चयन ग्रेड II, और III, श्रेणी III, श्रेणी II, सहायक लोटर और पॉलिशर, पॉलिशर रफ),
167	लेपक,
168	लेपक (राजमिस्त्री ग्रेड II)]
169	प्लम्बर,
170	प्लम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी II, सहायक लोटर और पॉलिशर रफ),
171	लेपक,
172	प्लास्टर (राजमिस्त्री ग्रेड II),
173	प्लम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी-II, सहायक वरिष्ठ, जूनियर, मिस्त्री ग्रेड II).
174	पाइपलाइन मिस्त्री,
175	प्लम्बर-सह-फिटर,
176	पॉलिशर,
177	पॉलिशर (तल),
178	सिरधर लठे मन,
179	भूविज्ञानी,
180	ट्रेलर्स,
181	टर्नर,
182	गददी लगाने वाला,
183	अपोलोस्टर ग्रेड II और III,
184	पेंटर स्त्रे श्रेणी II,
185	लकड़हारा,
186	लकड़हारा चयन ग्रेड,
187	लकड़हारा श्रेणी II,
188	वर्क सिरकार,
189	वैल्डर,
190	एयरविनेह होलेज परिवालक,
191	ऑटो इलेक्ट्रीशियन,
192	पेंटर,
193	लोहार,
194	दर्जी,
195	कंप्रेसर प्रचालक,
196	ब्लास्टर-शॉट/फाईरर,
197	झाईवर,
198	मुख्य रसोइया,
199	चार्जमैन,
200	बढई,
201	कंक्रीट मिक्सर प्रचालक,
202	कंप्रेसर परिचर,
203	एयर कंप्रेसर परिचर,
204	टैक्टर चालक,
205	वाहन चालक,
206	केमिस्ट और सहायक/केमिस्ट,

207	सब-ओवरसियर (अयोग्य),
208	ड्रिलर,
209	हैंडहोल ड्रिलर,
210	ड्रिल मैकेनिक,
211	ड्राइवर ऑटो,
212	बिजली मिस्त्री,
213	वयार लैस संचालक सहायक फोरमैन,
214	फोरमैन,
215	फिटर,
216	फेरी चालक,
217	जारीकर्ता लोको,
218	सुपर फोरमैन,
219	लहरा संचालक,
220	आईएमसीई चालक,
221	चालक,
222	लोको ड्राइवर,
223	लोडर प्रचालक,
224	लारनमैन,
225	मैकेनिक मशीनिस्ट,
226	राजमिस्त्री,
227	प्रसाविका,
228	टिन से मढ़नेवाला,
229	सुपरवाइजर मैकेनिक,
230	केवल जिप्सम, बेराइट्स ओर रॉक फॉस्फेट में पंप परिवर,
231	पंप ऑपरेटर/चालक,
232	धात्विक खान विनियम, 1961 के अधीन योग्यता प्रमाण पत्र के साथ खनन मेट,
233	मिस्त्री,
234	कुशल मजदूर,
235	टर्नर,
236	वरिष्ठ मैकेनिक,
237	ड्राफ्टमैन,
238	पर्यवेक्षक,
239	ड्राफ्ट्समैन,
240	वायरमैन,
241	टिम्बरमैन/टिम्बर मिस्त्री इलैक्ट्रिशियन
242	स्टोन क्रेशर प्रचालक,
243	क्रेशर प्रचालक,
244	माउल्टर,
245	वेल्डर,
246	ऑपरेटर,
247	कार्य मिस्त्री,
248	इंजन चालक,
249	खनन इंजन चालक ग्रेड II,

250	इंजनमैन,
251	वाल्वमैन,
252	कटर,
253	विडिंग इंजन चालक ग्रेड-II,
254	सुरक्षा गार्ड(अशस्त्र)/मुख्य चौकीदार,
255	फावरा प्रचालक,
256	लिम्को लोडर प्रचालक,
257	भूतल पर्यवेक्षक,
258	डोजर संचालक,
259	कंप्रेसर ड्रिलर,
260	डम्पर ट्रैक्टर ऑपरेटर सहित,
261	बॉयलर मैन (प्रमाण पत्र सहित),
262	मशीनरी परिचर,
263	एयरकंडिशन मैकेनिक,
264	क्रैच परिचर केवल मैग्नेटाइट, मैगनीज और मीका माइन्स में,
265	फावरा ऑपरेटर,
266	पावर ओर पम्पर हाउस प्रचालक,
267	खान ग्रेड-I,
268	ट्रैक्टर ऑपरेटर 80, टब रिपेयर 81, खराद मिस्त्री,
269	स्टेशनरी इंजर परिचर जेनरेटर ऑपरेटर 84 लोडिंग फोरमैन,
270	डीजल मैकेनिक,
271	फेरो प्रिंटर सह-अध्यक्ष,
272	व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग मैन,
273	ऑपरेटर न्यूनेट्रिक उपकरण, ऑपरेटर (फिटर),
274	बोरमैन,
275	बोरर,
276	वायरमैन (ग्रेड II, और III मैकेनिक इलेक्ट्रिकल),
277	हवाइट वाशर,
278	व्हाइट (वांशर चयन ग्रेड, द्वितीय श्रेणी)
279	वायरमैन,
280	वेल्डर (श्रेणी II ब्रिज कार्य),
281	वेल्डर गैस,
282	मुक्कतम (धात्विक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाण पत्र),
283	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) और अन्य वर्ग जो भी नाम से जो कुशल प्रकृति के हैं,
284	सहायक (फार्म),
285	सहायक (कैशियर),
286	पुस्तकालय अध्यक्ष,
287	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर,
288	हिंदी अनुवादक,
289	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर,
290	हिन्दी अनुवादक,
291	लेखा लिपिक,
292	लिपिक,

293	कम्प्यूटर/डाटा/एंट्री ऑपरेटर,
294	टेलीफोन ऑपरेटर, टाईपिस्ट,
295	स्टोर पचिरर,
296	एम.सी.लिपिक,
297	मुंशी (मैट्रिकुलेट, गैर मैट्रिकुलेट),
298	स्टोर लिपिक (मैट्रिकुलेट, गैर मैट्रिकुलेट),
299	स्टोरकीपर,
300	स्टोरकीपर ग्रेड I ग्रेड II (मैट्रिकुलेट),
301	टाइम कीपर,
302	टाइम कीपर (मैट्रिकुलेट-मैट्रिकुलेट नॉन),
303	बुक कीपर,
304	कार्य मुंशी,
305	कार्य मुंशी (अधीनस्थ),
306	पत्रिका लिपिक,
307	टेलर लिपिक,
308	दुकान लिपिक,
309	टैली लिपिक
310	स्टोर जारीकर्ता,
311	औजार धारक,
312	कम्प्यूटर/डेटा एंट्री ऑपरेटर,
313	रिकार्ड धारक,
314	अन्वेषक,
315	फाइल लिपिक,
316	रजिस्टर कीपर,
317	टाइम लिपिक,
318	लिपिक,
319	मुंशी,
320	टाइपिस्ट और अन्य श्रेणी जिस भी नाम से पुकारते हैं जो लिपिक प्रकृति के हैं।

क्र०स०	अत्यधिक कुशल
1	आर्टिफिशियल श्रेणी I,
2	लोहार श्रेणी I,
3	बढ़ई श्रेणी I,
4	मशीन,
5	हस्त श्रेणी I,
6	राजमिस्त्री श्रेणी I,
7	मैकेनिक (वरिष्ठ),
8	पेंटर (ग्रेड I श्रेणी I स्त्रे) प्लास्टर (राजमिस्त्री) श्रेणी-I,
9	प्लम्बर (मुख्य श्रेणी I),
10	मिस्त्री ग्रेड I,
11	घालिशार स्त्रे ग्रेड I,
12	रोड इंस्पेक्टर ग्रेड I,

13	लकड़हारा श्रेणी I,
14	स्टोन कटर ग्रेड I,
15	स्टोन कटर श्रेणी I,
16	स्टोन चितलर श्रेणी I,
17	स्टोन मेसन श्रेणी स I,
18	उप-ओवरसियर (कुशल),
19	टिलर श्रेणी I,
20	टिनस्मिथ ग्रेड I और श्रेणी I,
21	गद्दी लगाने वाला ग्रेड I,
22	वार्निश करने वाला श्रेणी I,
23	वेल्डर कम फिटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक,
24	वेल्डर (गैस) श्रेणी I,
25	व्हाइट वॉशर श्रेणी I,
26	वायरमैन ग्रेड I श्रेणी I,
27	लकड़हारा श्रेणी I,
28	चक्की (उपकरण) ग्रेड I,
29	प्रचालक (बैचिंग प्लांट ग्रेड I),
30	लीडर ग्रेड I,
31	पाइल ड्राइविंग ग्रेड I,
32	पंप ग्रेड,
33	स्क्रेपर ग्रेड I,
34	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड I,
35	पंप ग्रेड I,
36	स्क्रेपर ग्रेड I,
37	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र),
38	आर्मेचर विंडर ग्रेड I,
39	लोहार ग्रेड I और श्रेणी I,
40	बॉयलरमैन ग्रेड I,
41	बॉयलरमैन फौरमैन ग्रेड I,
42	ईट परत श्रेणी I,,
43	केबल जॉइनर ग्रेड I,
44	बढ़ई ग्रेड I और श्रेणी I,
45	सेलो कटर ओर डकोरेटर,
46	चार्जमैन श्रेणी I,
47	ड्राइवर लॉरी ग्रेड I सीनियर (चेकर),
48	मोटर लॉरी ग्रेड I,
49	मोटर व्हीकल श्रेणी I और डीजल इंजन ग्रेड I,,
50	रोड रोलर ग्रेड I,
51	पंप क्लास इलेक्ट्रीशियन ग्रेड I और श्रेणी I/ग्रेड I,
52	फिटर (ग्रेड I, श्रेणी I),
53	पाईप श्रेणी श्रेणी I (मुख्य),
54	फोरमैन (सहायक) लाईनमैन ग्रेड-I राजमिस्त्री (कुशल ग्रेड-I श्रेणी-I),
55	मस्त रिंग,

- 56 मैकेनिक श्रेणी I और श्रेणी II,
- 57 मैकेनिक (डीजल ग्रेड I और रोड रोलर ग्रेड-I),
- 58 एयरकंडिशनिंग ग्रेड I/श्रेणी I, मिस्त्री ग्रेड I,
- 59 मिस्त्री एयरकंडीशनिंग ग्रेड-I,
- 60 ओवरसियर,
- 61 ओवरसियर (सीनियर और जूनियर),
- 62 ड्रेगलाइन ग्रेड I,
- 63 ड्रिल ग्रेड I,
- 64 डम्पर ग्रेड I,
- 65 खुदाई ग्रेड I,
- 66 कांटा लिफ्ट ग्रेड I,
- 67 जेनरेटर ग्रेड I,
- 68 रिगर ग्रेड I,
- 69 रिगर ग्रेड II,
- 70 चार्जर सिटर ग्रेड/ I,
- 71 फावडा और ड्रेगलाइन ट्रैक्टर ग्रेड I,
- 72 ट्रेड्समैन क्लास I,
- 73 टर्नर मिलर ग्रेड/ I,
- 74 कार्य सहायक ग्रेड I,
- 75 कंपाउंडर,
- 76 सर्वेयर,
- 77 विंडिंग इंजन चालक,
- 78 ऑपरेटर (भारी मिट्टी उठाने वाली बेलचा और बुलडोजर),
- 79 मुख्य मिस्त्री,
- 80 स्टाफ नर्स डिप्लोमा धारक,
- 81 जैक हैमर के अतिरिक्त ड्रिल ऑपरेटर,
- 82 योग्यता प्रमाण पत्र सहित विद्युत पर्यवेक्षक,
- 83 अंडरग्राउंड शिफ्ट बॉस,
- 84 मुख्य मैकेनिक,
- 85 योग्य और अनुभवी वेल्डर,
- 86 मशीन टूल मैकेनिक,
- 87 मैकेनिक/प्लांट फोरमैन,
- 88 खनन पर्यवेक्षक,
- 89 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक/शिक्षक,
- 90 मुख्य इलेक्ट्रीशियन,,
- 91 लेखा परीक्षक,
- 92 7 साल की सेवा वाले स्टेनो,
- 93 स्टोर प्रभारी,
- 94 शिफ्ट प्रभारी,
- 95 पर्यवेक्षक,
- 96 वॉच और वार्ड के प्रभारी,
- 97 सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र),
- 98 क्रेन ग्रेड I,

- 99 डीजल इंजन ग्रेड I,
- 100 डोजर ग्रेड I,
- 101 क्लैप शैल ग्रेड I,
- 102 कंप्रेसर ग्रेड I,
- 103 ग्रेडर ग्रेड I,
- 104 ट्रैक्टर ग्रेड I,
- 105 वाइब्रेटर ग्रेड I,
- 106 स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड I,
- 107 बेलचा ग्रेड I,
- 108 फावड़ा और ड्रेगलाइन,
- 109 टायर वेलकुलर ग्रेड I,
- 110 सिक्योरिटी गार्ड (सशस्त्र) और अन्य श्रेणियों को जो भी नाम से बुलाया जाता है जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं।

आज्ञा से,

डॉ० श्रीधर बाबू अददांकी,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1115/VIII-1/2026-60(Labour)/2019, Dehradun dated August 25, 2026 for general information:

No. 1115/VIII-1/2026-60(Labour)/2019

Dated Dehradun, August 25, 2026

NOTIFICATION

Whereas, under section 67 of the Code on Wages, 2019, the appropriate Government (State Government) is empowered to make rules by notification in the Official Gazette and subject to the condition of pre-publication under sub-section (1) of Section 67 of the said Code. for carrying out the provision of the said Code;

And whereas the proposed draft of the Uttarakhand Code on Wage Rules, 2026 was pre-published by the notification no. 329(1)/VIII-1/26-60(Labour)/2019, dated 17th March, 2026 of Labour Section, Uttarakhand Government, as required by sub-section (1) of Section 67 of the said Code;

And whereas the representations and objections of the general public and beneficiaries on the said draft have been considered by State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019, the Governor is pleased to allow to make the following rules, namely:-

The Uttarakhand Code on Wages Rules, 2026

Chapter -1

- | | |
|---|---|
| Short title, extent and Commencement | <p>1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Code on Wages Rules, 2026</p> <p>(2) It shall extent to whole of Uttarakhand.</p> <p>(3) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.</p> |
| Definitions | <p>2. (1) In these rules unless the context otherwise requires,-</p> <p>(a) “Authority” means Authority appointed by State Government under sub-section (1) of section 45;</p> <p>(b) “Appellate Authority” means Appellate Authority appointed by Government under sub-section (1) of section 49;</p> <p>(c) “Appeal” means appeal filed under sub section (1) of section 49;</p> <p>(d) “Board” means the State Advisory Board constituted by State Government under sub-section (4) of section 42;</p> <p>(e) “Chairperson” means Chairperson of the Board;</p> <p>(f) “Code” means the Code on Wages, 2019 (Act 29 of 2019);</p> <p>(g) “Committee” means committee appointed by State Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;</p> <p>(h) “day” means period of 24 hours commencing from midnight;</p> |

- (i) “family” means all or any of the following relatives of an employee or an unorganised worker, as the case may be, namely:—
- (a) a spouse;
 - (b) a minor legitimate or adopted child dependent upon the employee or an unorganised worker, as the case may be;
 - (c) a child who is wholly dependent on the earnings of the employee or an unorganised worker, as the case may be, and who is—
 - (i) receiving education, till he attains the age of twenty-one years; and
 - (ii) an unmarried daughter;
 - (d) a child who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earnings of the employee or an unorganized worker, as the case may be, so long as the infirmity continues;
 - (e) dependent parents (including father-in-law and mother-in-law of a woman employee), whose income from all sources does not exceed such income as may be prescribed by the State Government;
 - (f) in case the employee or an unorganised worker, as the case may be, is unmarried and his parents are not alive, a minor brother or sister wholly dependent upon the earnings of the Insured Person;
- (j) “form” means form annexed in this rules;
- (k) “section” means section of the Code on Wages, 2019;

- (l) **“Inspector cum Facilitator”** means person appointed by State Government by notification under sub-section (1) of section 51;
- (m) **“member”** means member of Board/Committee/sub-committee;
- (n) **“geographical area”** means, the areas notified as such by the State Government from time to time;
- (o) **“population”** means the population which is determined in previous census and whose relevant data is published;
- (p) **“Registered Trade Union”** means that trade union which is registered under the Trade Union Act, 1926 (Act 16 of 1926) or the Industrial Relations Code, 2020, as the case may be;
- (q) **“State Government”** means State Government of Uttarakhand ;
- (r) **“Schedule”** means schedule of this rules;
- (s) **“un-skilled trade”** means that trade in which only operation experience is required and it does not involve any additional skill;
- (t) **“semi-skilled trade”** means that trade in which performance requires skill acquired by experience on work and is likely to be used in supervision or guidance of skilled employee and it also include non- skilled trade;
- (u) **“skilled trade”** means trade which requires performance skill and competency acquired through training as a trainee in technical and trading institution or by experience on work which requires initiative and judgment in its performance;

(v) "highly skilled trade" means the trade which requires a particular degree of excellence in its performance and which requires competence acquired through professional trading experience or technical or vocational training over an adequate period and which also requires the employee to accept full responsibility for his opinion or decision involved in performance of such trade.

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Code.

Chapter -2

Minimum Wages

Manner to
calculate minimum
rate of labour

3.

(1) For the purpose of sub-section (5) of section 6, minimum wages shall be fixed on daily basis, while keeping in view the following criteria –

- (a) a standard working class family includes, in addition to earning worker, his wife or her husband and two children, which is equivalent to three adult consumption units,
- (b) total (net intake) consumption of 2700 calorie per consumption unit per day,
- (c) 66 meter of cloth per standard working class family per year;
- (d) residential rent expenditure which shall be 10 percent of food and cloth expenditure,
- (e) fuel, electricity or other miscellaneous expenditure item shall be 20 percent of minimum wages,
- (f) expenditure of children's education, medical requirement, entertainment and other incidental expenditure, shall be 25 percent of food and clothes expenditure,
- (g) such other items and factors which State Advisory Board deems necessary;

(2) When one day wages rate are fixed then for fixing one hour rate such amount shall be divided by eight and to fix the rate of wages for a month it shall be multiplied by twenty six and in such division and multiplication half or more than half decimal shall be round off to next digit and decimal which is less than half shall be ignored. In case of a five day working week, the hourly rate of minimum wages so calculated shall be used to derive the minimum wages for the day.

(3) For the purpose of clause (b) of sub section (6) of section 6 for such category of workers engaged in the works where they tolerate extreme temperature or humidity, hazardous occupation or process or underground work shall be paid extra wages in addition to wages determined by State Government from time to time. Hazardous occupation and process shall be those as defined in Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020. In relation to determine the working condition in other related process and snow line, a committee shall be constituted, in which Labour Commissioner, Uttarakhand, officer nominated by Disaster Management Department, Additional Labour Commissioner Uttarakhand and Deputy Director, Factories Uttarakhand shall be included in which Labour Commissioner Uttarakhand shall be the Chairperson.

**Criteria to fix rate
minimum wages**

4. (1) While fixing the minimum rates of wages under section 6, the State Government shall take into account the following:-
- (i) geographical area,
 - (ii) experience in the area of employment, and
 - (iii) level of skill required for working under the categories of unskilled, semiskilled, skilled and highly skilled:

Provided that the State Government shall not fix minimum wages and allowances of State Government employees under this Code.

- (2) The State Government, for the purpose of giving advice to State Government regarding skill categories, arduousness of work, hazardous occupations or processes and underground work and like other categories under section 6, shall constitute a technical committee which shall consist of following members-

(i)	Labour Commissioner, Uttarakhand	-	Chairperson
(ii)	Deputy/Joint Secretary, Labour Government Uttarakhand	-	Member
(iii)	Joint/Additional Labour Commissioner Uttarakhand	-	Member
(iv)	One representative skill development and enterprise department (not below the rank of Deputy Director)	-	Member
(v)	Two technical specialist in wages determination as nominated by State Government	-	Member
(vi)	Not more than two representative each of employer and trade union	-	Member

- (3) State Government, on advice of technical committee referred in sub-rule (2) shall categorize the trade of employee in four categories, namely- non skilled, semi-skilled, skilled and highly skilled category by amending, deleting or adding any entry to the trade specified in Schedule 'A'.
- (4) Technical committee referred in sub-rule (2) at the time of giving advice to State Government under sub-rule (3) as far as possible shall take into account the National classification of trade or the national skill qualification framework or any another similar framework being developed for the time being for identification of trade.

The interval for revision of dearness allowance

5. An effort shall be made to calculate the cost of subsistence allowance and the cash value of concession in respect of essential commodities at concessional rates once before 1st April and again before 1st October in every year for revising the dearness allowance payable to employs on minimum wages.

Matters and situation for purpose of clause (ii) of section 10

6. Save as otherwise provided in Standing Orders in force in any establishment under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, or Industrial Relation Code, 2020 or any other law for the time being in force, no employee shall be entitled to receive wages for a full normal working day if failure to work is caused owing to justifiable lay-off resorted to by the employer.

Explanation- The expression "justifiable lay-off" means a lay-off resorted to by an employer in the event of a fire, catastrophe, breakdown of machinery or stoppage of the power supply, epidemic, civil commotion, illegal strike, shortage of orders or any other trade reason, or other causes, whether of a like nature or not, beyond the control of the employer.

The work schedule for normal working day

7. (1) Under clause (a) of sub-section (1) of section 13-

(i) In any establishment/factory/Government establishment, no employee shall be compelled or permitted to work for more than ten hours in one day and 48 hours in a week and no worker shall be required to work for continuous five hours until he is given rest for more than half hour:

Provided that in case of work of urgent nature, with the prior approval of Inspector cum Facilitator, exemption in work hour or week rest may be given.

(ii) Any work exceeding ten hours or more in a day or more than 48 hours in any week shall be considered as an overtime and total number of overtime hours in three month duration shall not be more than one hundred forty four hours.

- (2) In any establishment total number of hour of work in any shift including rest interval shall not be more than twelve hours.
- (3) In case of employee employed in agriculture employment provision of sub rule (1) and (2) shall be subject to such modifications as determined by State Government from time to time.

Week day for rest

8. (1) Subject to provision of this rule, employee shall be given one day of rest (hereinafter referred as rest day) every week which shall generally be Sunday but employer may fix any other day as a rest day for any employee or employees:

Provided that in a six-day working week or less than six days working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees:

Provided further an employee shall be entitled for the rest days under this sub-rule if he has worked under the same employer in case of six-day week for a continuous period of not less than six days and in case of less than six day working week for a continuous period of the stipulated number of working days as the case may be:

Provided also that information of fixed rest day and change in rest day afterwards shall be given to employee before change come into effect by displaying information at the place specified by Inspector cum Facilitator in this regard, in the employment place.

Explanation- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated number of working days in a week specified in the second proviso to this sub-rule-

- (a) any day on which the employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work,
- (b) any day on which employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020(35 of 2020), and
- (c) any leave or holiday with or without pay granted by an employer to an employee in the period of six days or during the stipulated number of working days of a weeks the case may be, immediately preceding the rest days on which the employee has worked.

- (2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the working days in a week immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made as a result of which without full rest day employee have to work for 10 days.

- (3) Where any employee work on rest day according to foregoing provisions of this rule and is given substituted rest day before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating weekly hours of work shall be counted in that week in which substituted rest day falls.

- (4) Employee shall:-

- (a) be given wages calculated on applicable rate for rest day for the next preceding day;
- (b) where he work on rest day and is given the substituted rest day then he shall be given wages at over time rate and at applicable rate for next preceding day for rest day:

Provided that where-

(i) under the Code minimum employee wage rate is calculated by dividing minimum monthly rate of wage by 26; or

(ii) actual daily rate of employee wages is calculated by dividing monthly wages rate by 26, and actual daily rate of such wage is not less than notified minimum daily rate then no wages shall be payable for rest day, and

(iii) employee has worked on rest day and he is given substituted rest day then he shall be given equivalent wages payable at overtime rate only for that rest day on the day he worked and if any dispute arises that his wages are calculated according to provisions of this provision then Assistant

Labour Commissioner or higher officer having jurisdiction shall decide it after giving opportunity to concerned parties for their written representation on application given to him:

Provided that if any employee is employed on Piece rate system then applicable wage for rest day or substituted rest day, as the case maybe, will be such as determined by State Government from time to time, having regard to the minimum rate of wages prescribed under the Code in this regard.

Explanation.- In this sub rule, next preceding day means the last day on which the employee worked which comes before rest day or substitute rest day, as the case may be, and where the rest day fall on the day immediately following the rest day, next preceding day means the last day on which the employee worked and which precedes the rest day.

- (5) The provisions of this rule shall not prejudice the more favorable condition if any to which an employee is entitled under any other law or any award, contract or condition of contract and in that case employee shall be entitled for aforesaid favorable terms.

Explanation- For the purpose of this rule, week means a period of seven days starting from mid night of Saturday night.

Night shift

9. When employee work in shift in such an employment which continue beyond after mid night then-

(a) For the purpose of rule 8, in this case, complete rest day means 24 hours continuous duration started at the end of his shift, and

(b) In such case, next day shall be 24 hours commencing from the time of completion of such shift and the hours after midnight during which such employee has worked shall be counted in previous day.

Emergency under sub-section (2) of section 13

10. The provision of rule 7 shall subject to such extent and condition apply to the following categories- If employee-

- (a) Is employed in an emergency which could not have been foreseen or prevented;
- (b) Is engaged in preparatory or supplementary nature which necessarily requires to be carried outside the limits prescribed for normal work in the employment concerned;
- (c) Whose employment is necessarily intermittent,
- (d) Is employed in such work which, is to be completed in duty hours due to technical reasons and
- (e) Is employed in such work, which cannot be done except at a time dependent on the uncontrolled action of natural powers. The provision of rule 7, 8 and 9 shall be applicable subject to the condition that-
 - (i) working hours of employee shall not exceed 12 hours on any working day;
 - (ii) the actual hours of work of an employee (including rest time or any other period) during which the employee is not required to work/ mark attendance, shall not exceed 10 hours.

Long wage period

11. For the purpose of minimum rate of wages under section 14, the long wage period shall be one month.

Chapter- 3

Payment of wages

Deduction under sub-clause (ii) of clause (f) of sub-section (2) of section 18

12. Loans taken from any fund constituted by the State Government for the welfare of workers and deductions for recovery of interest due thereon shall be subject to such instructions or circulars issued by the State Government from time to time regulating the limit for sanctioning such loans and the rate of interest payable thereon.

- | | | |
|--|-----|---|
| Recovery under sub-section (4) of section 18 | 13. | Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty per cent of the wages of the employee, the excess amount shall be carried forward and recovered from the subsequent wage period or periods, as the case may be, in such instalments so that the recovery in any month does not exceed fifty per cent of the wages of the employee in that month. |
| Authority under sub-section (1) of section 19 | 14. | For the purpose of sub-section (1) of section 19, the authority shall be Assistant Labor Commissioner and higher officer. |
| Manner of display of notice under sub-section (2) of section 19 | 15. | The notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at prominent places in the premises of the work place where the employment is carried on so that every employee concerned can easily read the contents of the notice, which shall be in Form 'A' and a copy of the notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator having authority and jurisdiction under sub-section (1) of section 10 of the Code. |
| Procedure under sub-section (3) of section 19 | 16. | <p>(1) According to sub-section (3) of section 19, the employer shall give a show-cause notice to the employee concerned, either electronically or in writing, in a language understood by the employee, specifying the reasons for the imposition of the penalty and the acts and omissions done by the employee which justify the imposition of the penalty. The employee shall be given an opportunity of not less than 15 days to present his case.</p> <p>(2) After the submission of reply of the employee or after the expiry of the period prescribed for period of reply of the case, the employer shall, for obtaining sanction for the imposition of penalty, give notice in writing containing the details specified therein within a period of one week to the officer mentioned in rule 14, who</p> |

shall, before granting or refusing the sanction, give an opportunity of being heard to the employee concerned and the employer. The decision as to sanction or refusal shall be taken by the said officer within a period of three weeks from the date of receipt of the notice from the employer.

- (3) After approval of the officer specified in Rule 14, a penalty shall be imposed on the delinquent employee. The employee shall be informed of the imposition of such penalty within fifteen days from the date of imposition.

**Notice
Deduction**

- of 17. (1) When an employer intends to make any deduction pursuant to sub-section (2) of section 20, he shall give a show-cause notice to the employee concerned, either electronically or in writing, in a language understood by the employee, specifying the reasons for the deduction and full particulars justifying the imposition of the deduction. The employee shall be given an opportunity of not less than 15 days to present his case. on establishment of charges, deduction shall be made from the wages of the employee in accordance with sub- section (3) of section 18..
- (2) If no reply is received from the employee concerned within 15 days, the employer shall make such deduction from the wages and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the date of such deduction.
- (3) The employer shall report such deduction to the Assistant Labour Commissioner or higher officer having jurisdiction within 10 days from the date of such deduction. In case of illegal deduction, the Assistant Labour Commissioner or higher officer shall hear the matter and take appropriate action as per law.

Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21

18. (1) Any employer intending to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee, shall give the show-cause notice to the employee concerned, either electronically or in writing, in a language understood by the employee, stating the reasons therefor regarding the value of the damage or loss to the goods entrusted to the employee. The employee shall be given an opportunity of not less than 15 days to present his case.

Provided that if the deduction is to be made in respect of more than one employee or workman, the show cause notice shall be issued by written order to each employee or workman separately.

- (2) On establishment of the charges, deductions shall be made from the wages of the employee in accordance with sub-section (3) of section 18.
- (3) In case no reply is received from the employee concerned within 15 days, the employer shall make such deduction from the wage of the employee concerned and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the date of such deduction.
- (4) The order regarding deduction shall be made by the employer in a language understood by the employee.
- (5) The employer shall report such deduction to the Assistant Labour Commissioner or higher officer having jurisdiction within 10 days from the date of such deduction. In case of illegal deduction or if the employee has not been given adequate opportunity of being heard by the employer, then after recording the reasons, the Assistant Labour Commissioner or higher officer shall hear the matter and take legal action.

Conditions regarding recovery

19. Deduction for recovery of advance of money given to

of advance under
section 23

an employee, as the case may be-

- (i) any advance given to an employee after the commencement of his employment under clause (b) of section 23, or
- (ii) the advance of pay of an employee which has not been earned by him under clause (c) of section 23 shall be paid by the employer from the pay of the employee concerned in such instalments as may be determined so that no any instalment or the aggregate of all the instalments shall exceed fifty per cent of the pay of the employee for that pay period and the particulars of such recovery shall be recorded in a register maintained in Form I.

Deduction under 20.
section 24

Deductions on loans sanctioned for construction of house or other purposes approved by the State Government, and recovery on interest payable thereon shall be subject to the instructions or circulars issued by the State Government from time to time, regulating thereon the limit for sanctioning such loans and the rate of interest payable.

Chapter- 4

State Advisory Board

Composition and 21.
procedure of the
State Advisory
Board

- (1) The State Government shall constitute a State Advisory Board for the purpose of advising the State Government in matters relating to the fixation and revision of minimum rates of wages and for coordinating the work of the Advisory Boards.
- (2) The State Government shall nominate in the Board representatives of employers and employees as specified clause (a) and (b) of sub section (6) of section 42 of the Code, and independent persons as specified in clause (c) of

sub-section (6) of section 42 of the Code.

- (3) The number of representatives of employers specified in clause (a) of sub-section (6) of section 42 shall not exceed 6. Similarly, the number of representatives of employees specified in clause (b) of that sub-section shall not be less than 6.
- (4) The independent persons nominated by the State Government under clause (c) of sub-section (6) of section 42 of the Code shall be as follows:—
 - (i) Principal Secretary/Secretary, Labour- ex-officio Chairman
 - (ii) Labour Commissioner, Uttarakhand ex-Officio Member Secretary – Member
 - (iii) 04 other members shall be nominated by State Government;
- (5) The State Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (2) shall not exceed one-third of the total members of the Board and that one-third of the members of the Board shall be women.
- (6) **Advisory Committees and Sub-Committees:-**
 In the constitution of advisory committees and sub-committees, persons representing employers and employees of the notified employments shall be nominated in equal numbers and not exceeding six. Independent persons shall also be nominated in the committees and sub-committees whose number shall not exceed one-third of the total number of members. The Chairperson of the Committees/Sub-Committees shall not be below the rank of Labour Commissioner.

Duties of the 22. Chairperson:-
chairperson

- (i) shall preside at the meetings of the Board,

provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes a Chairperson to preside at that meeting;

(ii) determine the agenda of each meeting of the Board;

(iii) when at a meeting of the Board, if any matter is to be decided by voting, he shall conduct secret ballot at the meeting and shall count the votes or cause to the votes to be counted.

Board meeting

23. The Chairperson may, subject to the provisions of Rule 22, call a meeting of the Board at any time as he deems fit:

Provided that on receipt of a requisition in writing from not less than half of the members, the Chairperson shall give notice to each member within 15 (fifteen) days from the date of receipt of such requisition.

Notice of meeting

24. The Chairperson shall fix the date, time and place of each meeting and a written notice containing the said details along with the agenda to be transacted at the meeting shall be sent to every member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in case of an emergency meeting, only 7 (seven) days' notice may be given to each member.

Quorum

25. No business shall be transacted at any meeting if at least one-third of the members and at least one representative each from the employers and employees are present:

Provided that if less than one-third of the members are present at a meeting, the Chairperson may adjourn the meeting for a period not exceeding seven days from the date of the original meeting and the business transacted at such adjourned meeting shall be

valid irrespective of the number of members present:

Provided further that the date and time of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by registered post.

Disposal of board business

26. All matters of the Board shall be considered at a meeting of the Board and shall be decided by a majority of the members present and voting, and in the case of equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that a decision in respect of any matter shall be taken after circulation of necessary documents and after obtaining the opinion of the members in writing:

Provided further that no decision shall be taken on any matter under the preceding proviso unless it is supported by at least two-thirds of the members.

Other functions of the Board

27. In addition to the functions of the Board specified in sub-section (4) of section 42, the Board shall also advise the State Government on such other matters as may be specified to the State Advisory Board by the State Government.

Method of voting

28. Voting on the Board shall done generally by raising the hand:

Provided that if a member demands voting by ballot or if the Chairperson so decides, the voting shall be conducted by secret ballot in such manner as the Chairperson determines.

Proceedings of meetings

29. (1) The proceedings of every meeting of the Board, inter alia, showing the names of the members present at the meeting, shall be forwarded to each member and to the State Government immediately after the meeting and in any case not more than seven days before the next meeting.

		(2)	The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such amendments, if any, as may be considered necessary at the next meeting.
Summoning witnesses and production of documents	of 30.	(1)	The Chairperson may, if required in the discharge of his duties, summon any person to appear as a witness and to produce any document.
		(2)	Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for the expenses incurred by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of allowances to witnesses appearing before a civil court.
Appointment of committees	of 31.		The State Government may appoint as many Committees under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it may deem necessary for the purposes specified in that clause, which shall function under the Chairmanship of a person not below the rank of Labour Commissioner.
Term of office members of the committees and sub-committees	32.	(1)	The term of office of every non-official member or ex-officio member shall be two years from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (1) of section 42: Provided that such members shall continue to hold office notwithstanding the expiry of the period of two years with the permission of the State Government.
		(2)	If a casual vacancy occurs among the members of the Board, another person to be nominated, he shall hold office for the remainder of the term of the member in whose place he is nominated.
		(3)	Official members of the Board shall hold office until they are replaced by other like official members.

- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.
- Traveling allowance** 33. The Official and non-official members of the Board shall be entitled to following travel allowance for any journey performed by them in connection with their duties-
- (1) The travelling allowance of any Official member of the Board, for a journey performed by him/her on official duty, shall be governed by the rules applicable to him/her and shall be paid by the authority competent to draw and disburse his/her salary.
- (2) Non- official members of the Board, shall be paid a travelling allowance for a attending board meetings at the rates admissible to an officer of Level-10 in the State Government, and the daily allowance shall be calculated at the rates applicable to a state Government officer of leve-10 at the place concerned.
- Officers and employees** 34. The Labour Commissioner, Uttarakhand shall act as the ex-officio Member Secretary of the Board and the officers of the Labour Commissioner's office shall provide necessary executive assistance to the Board.
- Eligibility for re-nomination of members of the Board** 35. An outgoing member shall be eligible for re-nomination for membership of the Board
- Resignation of the Chairperson and other members of the Board** 36. (1) A member of the Board, other than the Chairperson, may resign from his membership by giving notice in writing to the Chairperson and the Chairperson may resign by writing to the State Government.
- (2) The resignation shall take effect from the date of intimation of its acceptance or the expiry of 30 days from the date of resignation, whichever is earlier.

Chapter- 5

Payment of dues, claims etc.

Payment under 40.
clause (a) of sub-
section (1) of
section 44

(1) (a) Every employee shall make a declaration in Form-II, nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in his credit at the event of his death.

(b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be made in favour of the spouse or the spouse along with one or more members of his family:

Provided that nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of his family shall be invalid:

Provided further that a fresh nomination towards his spouse shall be made by the employee on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

(c) Where the nomination is made wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee or where there is no major person in the family, he may at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee.

(d) If the employee nominates more than one member, he shall specify in the nomination, the amount or share payable to each of his nominees at his own discretion so as to cover the whole of the amount that may stand to his credit.

(2) Where any amount payable to an employee under

the Code remains unpaid due to him on account of his death or his address being unknown and the amount has not been paid to the employee's nominee within three months from the date on which the amount became payable to the employee, the employer shall deposit the amount with the jurisdictional Assistant Labour Commissioner or higher officer who shall, after ascertaining the identity of the person nominated by the employee, pay the amount within two months from the date of deposit of the amount with him.

Deposit of 41.
undisbursed
balance under sub-
section (1) (b) of
section 44

(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed due to the employee not making a nomination or for any other reason and the amount has not been paid to the employee's nominee within six months from the date on which the amount became due, the employer shall deposit the entire amount with the Assistant Labour Commissioner or higher officer having jurisdiction before the expiry of fifteen days from the last day of the said period of six months. A separate bank account shall be opened for this purpose and the amount shall be credited thereto and a record of the same shall be maintained by the authority having jurisdiction.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the Assistant Labour Commissioner or higher officer having jurisdiction by way of bank transfer or by way of a crossed demand draft issued from a scheduled bank in India in favour of such Assistant Labour Commissioner or higher officer.

Manner of 42.
settlement of
undisbursed dues
under clause (b) of

(1) The amount of money referred to in sub-rule (1) of rule 41 (hereinafter in this rule referred to as the Amount) deposited with the Assistant Labour Commissioner or higher officer having

**sub-section (1) of
section 44**

jurisdiction shall remain with him and he shall invest them in State Government securities or shall keep them in any scheduled bank as a fixed deposit.

- (2) The Assistant Labour Commissioner or higher officer of the jurisdiction concerned shall, as soon as possible, display a notice on the notice board for a minimum period of fifteen days, giving such details of the amount as the Assistant Labour Commissioner or higher officer deems fit for information. Thereafter, the family or dependents of the worker concerned shall submit a Successor Certificate or Family Membership Certificate issued by the District Administration. The dues shall be paid to one or more of the deceased worker's heirs and on the basis of no objection. Otherwise, the payment shall be made to the legal heir (s) to whom the claim is payable/declared heir (s).
- (3) If the amount disbursed remains unclaimed for a period of seven years, it shall be settled in such manner as may be directed by the State Government from time to time in this behalf.

Chapter- 6

Form, Register and pay slip

**Form of single
application**

43. (1) A single application, may be filed under sub-section (5) of section 45 in Form-III manually or electronically along with documents specified in the said Form.
- (2) Where an application under sub-section (5) of section 45 is entertained, the authority shall serve upon the employer electronically or by registered post a notice in Form IV to appear before him on the date specified in the notice

with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified.

(3) If the employer or his representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application ex-parte.

(4) If the applicant or his representative fails to appear on the specified date without any reasonable cause shown in advance, the authority may dismiss the application.

Appeal

44. (1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-V electronically or by registered post, along with documents mentioned by the appellant in the said Form, to the appellate authority having jurisdiction:

Provided that no appeal by an employer shall be admitted unless at the time of preferring the appeal, the appellant has deposited the claim amount with the appellate authority.

(2) Where an appeal under sub-section (1) of section 49 is entertained, the appellate authority, shall serve upon the respondent electronically or by registered post a notice in Form IV to appear before him on the date specified in the notice and shall inform the appellant of the date so specified.

(3) The appellate authority shall after hearing the appellant and the respondent shall, by order, decide the appeal.

Form of register, 45. etc.

(1) The details of all fines and recoveries referred to in sub-section (8) of section 19 shall be

maintained electronically or otherwise in a register to be maintained by the employer in Form-I appended to these rules and the authority referred to in the said sub-section (8) shall be the Assistant Labour Commissioner and higher authority for the area.

- (2) The details of all deductions and recoveries referred to in sub-section (3) of section 21 shall be maintained electronically or otherwise in a register to be maintained by the employer in Form-I appended to these rules.
- (3) Every employer of any establishment on which this code is applicable he shall keep register under sub-section (1) of section 50 under form-I and form-VI in electronic or any other form.

Salary slip

46. Every employer at the time of payment or before shall issue a salary slip under sub-section (3) of section 50 under Form-VII in electronic or any other form.

Appointment of inquiry officer under sub-section (1) of section 53

47. The appointment of enquiry officer shall be made by State Government through separate order.

Manner of imposition of penalty and compounding of offences under sub-sections (1) and (4) of section

48. (1) Any accused person seeks compounding of an offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VIII, electronically or otherwise, to the officer notified under the said sub-section (1).

56

- (2) The officer notified under sub-rule (1) shall, on receipt of such application, ascertain whether the offence is compoundable under the Code and, if so, may compound the offence with a sum not exceeding fifty per cent of the maximum penalty provided for such offence under the Code. The notified officer may also examine the application for compounding of the offence.

Chapter-7

Miscellaneous

Other Powers to be exercised by Inspector-Cum-Facilitator

49. In addition to the powers conferred under section 51, the Inspector-cum-Facilitator shall, subject to such instructions or guidelines as may be issued by the State Government from time to time, advise employers and workers regarding compliance with the provisions of the Code and inspect establishments as may be assigned by the State Government.

Payment of Wages

50. Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, in respect of the wages of employees in accordance with the provisions of the Code.

Explanation.-For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

Technical Committee for working Journalist.

51. The State Government may, for the purpose of fixing minimum wages under the code for the working journalist as defined in clause (zym) of section 2 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) appoint a technical advisory committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 to recommend the State Government in respect of such fixation.

- Responsibility for payment of minimum bonus.** 52. Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.
- Annual Return** 53. The return under these rules shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the Code applies in the relevant columns of the Form specified for such purpose in the rules made under the Occupational, Safety Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020). A copy of such return shall also be forwarded electronically to the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India:
- Provided that in case of filing of annual return under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, there is no need to file separate annual return under any other labour codes.
- Uploading on the official website of the department** 54. These rules will be uploaded on the official website of the Labour Department within one month from the date of their final notification.
- Repeal and Saving** 55. (1) The Uttarakhand (Uttar Pradesh) Payment of Wages Rules, 1936 and the Uttarakhand (Uttar Pradesh) Minimum Wages Rules, 1952 shall be deemed to be repealed from the date of final notification of these rules.
- (2) Notwithstanding such repeal under sub-rule (1), anything done or any action taken under the rules so repealed, including any notification, nomination, appointment, order or direction

thereunder or the amount of wages provided under any provision of such rules for any purpose, shall be deemed to have been done or taken or provided for such purpose under the corresponding provisions of this rule and shall, to the extent it is not contrary to the provisions of this rule, continue to be in force under the corresponding provisions of this rule or until repealed by a notification to that effect by the State Government.

- (3) Without prejudice to the provisions of sub-rule (2), the provisions of section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply to the repeal of such rules.

By Order,

DR. SRIDHAR BABU ADDANKI,
Secretary.

FORM -A**Notice Under Section 19 (2) of the Code On Wages
See Rule 15**

.....Name of the
Establishment with Full Address.

.....Name of the employee with designations
and employee code.

Particulars of Acts and Omission specified As per section 19 (1) of the Code on Wages 2019.

1.

2.

3.

Date

Signature of the Employer/Authorized Manager

Copy forwarded to :

1-Inspector-cum-facilitator of concerned region

2- Authority under section 19(1) of code on wages.

FORM-I

[See rule-19 and 45]

Register of Wages, Advance Recovery, Overtime, Fine, Deduction for damage and Loss

Name of the Establishment:.....

Name of the Employer:.....

Name of the Owner:

TAN of the Employer:.....

Labour Identification Number (LIN)/Employee Code in absence of LIN:

Sr. No. in Employee Register	Name of the employee	Designation / Department	Duration of Payment of Wages (Monthly/Fortnightly/Weekly/Daily/Piece rated)	Wage Period From-To	Total no. of days worked during the period	Total overtime (hours worked or production in case of piece workers)	Rates of wages		
							Basic	DA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Overtime earning	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Amount of deduction from wages/ Amount of Advance Recovery	Total amount of wages paid	Date of Payment	Attendance	
							Date	Signature
11	12	13	14	15	16	17	18	19

FORM-II
(See rule 40)
NOMINATION FORM

1. Name of person making nomination:

(In block letters):

2. Father's/Spouse's Name:

3. Date of Birth:

4. Sex:

5. Marital Status:

6. Address:

Permanent:

Temporary:

I hereby nominate the person(s)/cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s) mentioned below to receive any amount due to me from the employer in the event of my death:-

Name of nominee/nominees	Address	Nominee's relationship with the employee	Date of Birth	Total amount of share of accumulations in credit to be paid to each nominee	If the nominee is minor, name, relationship, and address of the guardian who may receive the amount during the minority of nominee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. Certified that I have no family and if I acquire a family hereafter, the above nomination shall be deemed as cancelled.

2. Certified that my father/mother is/are dependent upon me.

3. Strike out whichever is not applicable.

Signature or the thumb impression of the employee

CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt/Kuemployed in my establishment after he/she has read the entry/entries or have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her in either of the cases.

Signature of the employer or other authorised officer of the establishment and Designation

Place:

Date:

Name and Address of the Factory/Establishment and rubber stamp thereof

FORM-III

[See rule 43]

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45]

BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45
OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR..... AREA.....

Application No..... of 20.....

Between ABC (State the number) and..... other.....Applicant
(Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator)
Address.....And
XYZ.....
Address.....

in between

The application states as follows:

- (1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from.....to.....as.....(category) in.....(establishment) Shri/M/s.....engaged in.....(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.
- (2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.
- (3) (a) The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs.....Per day for the period(s) from.....to.....
(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs.....Per day for the weekly days of rest from to.....
(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from.....to.....
(d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period from.....to.....
(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

- (f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year.....
- (4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/ them on each amount asunder:
- (a) Rs.....
- (b) Rs.....
- (c) Rs.....
- Total Rs.....
- (5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for;
- (a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,
- (b) payment of remuneration for the days of rest
- (c) payment of wages at the overtime rates,
- (d) Compensation amounting to Rs.....
- (6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Signature or thumb-impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector- cum-Facilitator.

Note: The applicant(s), if required, may append annexure containing details, with this application

FORM IV

(See rule 43 and rule 44)

(A). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE AUTHORITY UNDER SUBSECTION(5) OF SECTION 45

(Title of the application)

To

Name

Address

Whereas (name of the applicant) has made the above said application tome under the Code on Wages, 2019, you are hereby summoned to appear before me in person or by a duly authorized representative, and required to answer all material questions relating to the application, or shall be, accompanied by some person duly authorized by you and able to answer such question on the.....Day of.....20....at.....AM/PM, to answer the claim in application and as the day fixed for the appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that in default of your appearance on the day mentioned here above, the application will be heard and disposed of in your absence.

Date.....

Signature of the authority with seal

(B). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE APPELLATE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 49

(Title of the appeal)

To

Name

Address

Take notice that an appeal (copy of which is enclosed) under section 49 of the Code on Wages, 2019 has been presented by _____(name of appellant) before this appellate authority, and that the _____ day of _____ 20____ has been fixed by this appellate authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made by you in person or by a duly authorized representative to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Date.....

Signature of the Appellate authority with seal

FORM V

(See rule 44)

Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019 before the Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C

Address.....APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address.....RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made : Number and date:
The authority, who has passed the impugned order:
Amount awarded:
Compensation awarded, if any:
2. Facts of the case:
(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).
3. Grounds for appeal:
4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:
The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.
5. Reliefs sought :
In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):—
[Specify below the relief(s) sought]
6. List of enclosures:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 4.

Date:

Place:

Signature of the appellant

For office use

.....

Date of filing

Or

Date of receipt by post

Registration No.

Authorized Signatory

FORM VI
[See rule 45]
EMPLOYEE REGISTER

Name of the Establishment:.....

Name of the Employer:.....

Name of the Owner:.....

PAN/TAN of the Employer:.....

Labour Identification Number (LIN):

Sl. No.	Employee Code	Name	Surname	Gender	Father's / Spouse Name	Date of Birth	Nationality	Education Level	Date of Joining	Designation	Category (HS/S/SS/US)*	Type of Employment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mobile No.	UAN	PAN	ESIC IP No.	AADHAAR	Bank A/c Number	Bank	Branch (IFSC)	Present Address	Permanent Address
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Service Book No.	Date of Exit	Reason for Exit	Mark of Identification	Photo	Specimen Signature/Thumb Impression	Remarks
24	25	26	27	28	29	30

*(Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)

FORM VII

[See rule 46]

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment..... Address.....
 Period.....

1. Name of employee :
2. Father's /Spouse name :
3. Designation:
4. UAN:
5. Bank Account No.
6. Wage period:
7. Rate of wages payable: (a) Basic (b) D.A. (c) other allowances
8. Total attendance/unit of work done:
9. Overtime wages:
10. Gross wages payable :
11. Total deductions: (a.) PF (b). ESI (c.) Others
12. Net wages paid:

Employer/Pay-in-charge signature

FORM VIII

[See rule 48]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR
COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant :
2. Father's /Spouse name :
3. Address of the applicant :
4. Particulars of the offence:
-
-
-
5. Section of the Code under which the offence is committed:
6. Maximum fine provided for the offence under the Code:
7. Whether prosecution against the applicant is pending or not.....
8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence.
.....
.....
.....
9. Any other information which the applicant desires to provide.....
.....
.....
.....

Dated:

Applicant
(Name and signature)

Schedule 'A'
(See rule 4 (3))

S.No.	UNSKILLED
1	Beldar
2	Calf boy
3	Cattleman
4	Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle, Yard, M.T)
5	Collecting loose fodder
6	Dairy coolie
7	Mazdoor (Arportculturst Compost, Dairy's Haystaking, Irrigation, Manure, Stacking, Milk- room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.)
8	Driver (Mule, Bullock, Camel, Donkey)
9	Dresser
10	Driver (Bullocks Mule)
11	Grazler
12	Dairyman
13	(Store-Mazdoor)
14	Carrier (Stone),
15	Breaker (using manual appliances)
16	Helper
17	Messenger (Office)
18	Mali
19	Sycc
20	Tying and Carrying loose hay
21	Sweeper,
22	Weighing and Carrying bales,
23	Weighman (Bales, pally),
24	Waterman,
25	Stable man,
26	Trolly man
27	Valveman,
28	Watchman,
29	White Washer,
30	Wooderman,
31	Wooder Woman,
32	Borryman,
33	Coalman,
34	Condenser,
35	Attendant,
36	Grass Cutter,

37	MuchhersJamadars,
38	Condenser Attendant,
39	Shunters
40	Turner,
41	Bajri Spreader,
42	Beater Women,
43	Bell-Woman,
44	Chain Man,
45	Boat Man,
46	Bucket Man,
47	Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting- Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding)
48	Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit),
49	Cart man,
50	Caretaker (Bridge),
51	Carrier (Water),
52	Chowkidar,
53	Concrete (Hand Mixer),
54	Daffadar,
55	Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule),
56	Flag Man,
57	Flagman (Blast Train),
58	Khalasi not attending to machines
59	Gangmen,
60	Gatingman (Permanent Way),
61	Handle Man, Jumper Man,
62	Kamin (Female Work),
63	Khalas,
64	Marine,
65	Moplah,
66	Steam Road,
67	Roller Surveyer,
68	labourer (Garden),
69	Mazdoor,
70	Hole Cutter,
71	Lorry Trainees,
72	Petrol man,
73	Searcher,
74	Signal man,
75	Strikers,
76	Vaks Controller,

77	Cleaner,
78	Dresser / Dressing Mazdoor
79	Loader
80	Mazdoor (Male/Female)
81	Messenger (Male / Female)
82	Trimmer
83	Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semiskilled)
84	Office Peon /Peon (except in Bauxite Mines)
85	Sweeper (Male / Female)
86	Carrier
87	Number Taker
88	TrollyTriper
89	Water Carrier
90	Earth Cutter
91	Survey Khalasi
92	Gate Man,
93	Concrete (Hand Mixer)
94	Dismantling stocks
95	Lampman
96	Beldar/Beldar (Canteen)
97	Coolie
98	Peon
99	Cook-helper
100	Office Boy
101	Quarry Worker
102	Jelly Maker
103	Over burden Remover
104	Waste removing mazdoor
105	Unloader
106	Excavating Labour
107	Digger
108	Butcher
109	Attender
110	Lorry Helper
111	Surface loader
112	Wood Cutter
113	Surface Mukar
114	Under Ground Mukar
115	Striker (Moplah gang),
116	Tall Boy,
117	Tile
118	Person employed in loading and unloading
119	Packer
120	Person employed in sweeping and cleaning and other categories by whatever name called which are of unskilled nature.

S.No

SEMI SKILLED

1	Assistant (Chowkidar)
2	Attendant (Bull-calving lines, Chowkidar, Chaff cutter, Hostel, Dry Stock, Grair crusher, Pump, Siekline, Stable, Yard Stock)
3	Stables, Corral, Stock
4	Assistant-Plumber
5	Attendant
6	Bhisti
7	Brander
8	Bullman
9	Butter man
10	Coachman
11	Cobbler
12	Cultivator
13	Daftry
14	Deliveryman
15	Dhobi
16	Dresser
17	Fireman
18	Gowala
19	Hammer man
20	Helper (Blacksmith)
21	Jamadar (stand)
22	Jamadar
23	Khalasi
24	Mali Senior
25	Mate/Mistry
26	Mazdoor (literate)
27	Nalband
28	Oilman
29	Ploughman
30	Vtackers
31	Supervisor
32	Thatcher
33	Valve man
33	Valve man (Senior)
35	Wireman fixing tin cables
36	Cook
37	Dandee
38	Frash
39	Hacksaw man

40	Helper (locco-Crane/Truck)
41	Manjhee (Boatman)
42	Belchawala
43	Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)
44	Bhisti (with Mushk)
45	Boatman (head)
46	Breaker,
47	Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal
48	Can weaver
49	Chainman(Head)
50	Charpoy-Stringer
51	Checker
52	Cracker
53	Dolly man
54	Assistant
55	Driller
56	Driver (Skin)
57	Excavator
58	Ferroman
59	Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller)
60	Gate Keeper
61	Gharami
62	Classman
63	Grater
64	Greaser-cum-Fireman
65	Grinder
66	Hammer man
67	Helper (Artisan)
68	Helper (Sawyer)
69	Keyman
70	Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory)
71	Labourer (Rock-Cutting)
72	Lascar
73	Mali (Head)
74	Stockers and Boiler man
75	Thoombaman (Spade worker)
76	Tindals
77	Trollyman (Head Motor)
78	Fitter (Assistant Semi-Skilled)
79	Jamadar (Semi-skilled)

80	Mate (Stone)
81	Kasab
82	Khalasi (Structural)
83	Masalchi P.M. Mates
84	Miner
85	Untrained Mate/ Mining Mate/ Mate without Competency certificate Under Metalliferous Mines Regulations, 1961
86	Butler/Cook
87	Breaker (using mechanical appliances)
88	Crech Ayah/Ayah/Untrained Crech Attendant
89	Assistant Driller
90	Oilman/Oiler
91	Chowkidar/ Watchman
92	Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)
93	Tindals
94	Topas
95	Topkar (Big Stone Breaker)
96	TrolleyJamadar
97	Winchman
98	Attendance-keeper
99	Assistant Wireman
100	Mate
101	Mate (Blacksmith, Road, Carpenter)
102	Engine Driver and/or Feeder
103	Fitter
104	Gang
105	Mazdoor Mason
106	Permanent Way
107	Pump-Driver,Turner)
108	Mazdoor (Heavy-weight)
109	Charge-man
110	Mistri (Head
111	Muccadam
112	Night-guard
113	Runner (Post dak)
114	Oilman
115	Quarry man
116	Quarry Operator
117	Stoneman
118	Stocker
119	Thatcher
120	Pump Attendant
121	Bearer
122	Breakman
123	Crowder Man
124	Laboratory Boy
125	Pointerman Sencummy
126	Stone mines and other categories by whatever name called which are of semi-skilled nature

S.No	SKILLED
1	Artificer (Class-II, III, IV)
2	Blacksmith
3	Blacksmith (Class II)
4	Boiler man
5	Carpenter
6	Carpenter (Class II) Carpenter-cum- Blacksmith
7	Chowdhary
8	Driver
9	Driver (Engine Tractor, M.T.Motor)
10	Electrician
11	Fitter
12	Mason
13	Mason Class II
14	Machine hand (Class II, III, IV)
15	Machineman
16	Mate Gr. I (Senior)
17	Mechanic
18	Milk Writer
19	Mistry (Head)
20	Moulder
21	Muster Writer
22	Operator (Tube-well)
23	Painter
24	Plumber
25	Welder
26	Upholsterer
27	Wireman,
28	Chipper
29	Chipper-Cum-Grinder
30	Cook (Head)
31	Driller
32	Driller (Well Boring)
33	Driver(Loco/Truck)
34	Electrician (Assistant)
35	Mechanic (Tube-Well)
36	Mistry(Stell, Tube-Well, Telephone)
37	Meter Reader
38	Meteorological Observer Navghani

77	Work Sakar
78	Mica Cutter Grade -I
79	Dresser Grade -I Mica
80	Supervisory Fireman
81	Fireman only in Mines
82	Compressor Driver
83	Pump Man Driver 96. Grinder in Mica Mines
84	Surveyors (Assistant)
85	Tailor
86	Tailor(Upholstery)
87	Tran sprayer
88	Tar man
89	Line Man
90	Tiler Class II
91	Wall(Floor, Roof)
92	Tiler (Selection Grade)
93	Tin-Smith
94	Tin Smith(Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker
95	Well Sinker
96	Assistant Mistry
97	Armature Winder Grade-II and III
98	Bhandari
99	Blacksmith
100	Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III)
101	Boiler man
102	Boiler man Grade II and III
103	Boiler Foreman Grade II
104	Work (Assistant)
105	Brick Layer
106	Bricklayer (Selection Grade, Class II)
107	Blaster
108	Chowkidar (Head)
109	Security Guard (without arms)
110	Carpenter
111	Carpenter (Selection Grade, Grade II and III, Class I and III Assistant)
112	B.I.M. Road
113	Cabinet Maker
114	Caneman
115	Celotex
116	Cutter Maker Chargeman, Class II and Class III, Carpenter Ordinary)
117	Checkder (Junior)

118	Chick Maker
119	Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer
120	Concrete Mixure Operator
121	Cobbler
122	Coremaker
123	Driver
124	Driver Motor Vehicle
125	Motor Vehicle Selection Grade
126	Motor Lorry
127	Motor-Lorry Grade II
128	Lorry Grade II
129	Diesel Engine
130	Diesel Engine Grade II
131	Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer etc.
132	Road Roller
133	Road Roller Driver Grade II
134	Driver (Engine Static Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller, Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane, Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant
135	Engine Operator (Stone Cursher Mechanical)
136	Distemper, Electrician, Electrician (Grade II, Class II and Class III)
137	Fitter Fitter (Selection Grade, Grade II and III) class II and III Assistant, Pipe class II
138	Pipe Line ending Bars for
139	reinforcement Cum-mechanic, Mechanic and Plumber)
140	Gharami (Head)
141	Glazier
142	Hole Drillar for Blasting
143	Joiner
144	Joiner (Cable, Cable Grade II)
145	Lineman (Grade II, III, High Tension/Low Tension)
146	Mason
147	Mason (Selection Grade, Grade II, III and Class B Mistry)
148	Stone (Stone Class II, Brick Work, Stone work)
149	Brick-layer
150	Tile Flooring
151	B.I.M Muccadam (Head)
152	Stone cutting
153	Ordinary Machines
154	Mechanic
155	Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II)

156	Diesel Grade II
157	Road Roller Grade II
158	Assistant, Radio)
159	Manson (Gharami)
160	Mistry
161	Mistry Grade II, Air conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works)
162	Mason Class A
163	Moulder
164	Moulder (Brick, Tile)
165	Painter
166	Painter (Selection Grade, Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher Polisher, Rough)
167	Plasterer
168	Plasterer (Mason Grade II)
169	Plumber
170	Plumber (Selection Grade, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Rough),
171	Plasterer
172	Plasterer (Mason Grade II)
173	Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II)
174	Plumbing Mistry
175	Plumber-cum-Fitter
176	Polisher
177	Polisher (Floor)
178	Sirdhar Lathe Man
179	Geologist
180	Trailors
181	Turner
182	Upholsterer
183	Upholsterer (Grade II and III)
184	Painter Spray (Class II)
185	Wood Cutter
186	Wood Cutter Section Grade
187	Wood Cutter Class II
188	Work Sircar
189	Welder
190	Airwinch Haulage Operator
191	Auto-electrician
192	Painter
193	Blacksmith
194	Tailor
195	Compressor Operator

196	Blaster/Shot-firer
197	Driver
198	Head cook
199	Chargeman
200	Carpenter
201	Concrete Mixer Operator
202	Compressor Attendant
203	Air Compressor Attendant
204	Tractor Driver
205	Vehicle Driver
206	Chemist and Assistant/ Chemist
207	Sub- overseer (unqualified)
208	Driller
209	Handhole Driller
210	Drill Mechanic
211	Driver Auto
212	Electrician
213	Wireless Operator Asstt. Foreman
214	Foreman
215	Fitter
216	Ferry Driver
217	Issuer Loco
218	Super Foreman
219	Hoist Operator
220	IMCE Driver
221	Driver
222	Loco Driver
223	Loader Operator
224	Linesman
225	Mechanic/ Machinist
226	Mason
227	Mid Wife
228	Tinsmith
229	Supervisory Mechanic
230	Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates
231	Pump Operator/Driver
232	Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines' Regulations, 1961.
233	Mistry
234	Skilled Mazdoor
235	Turner

236	Senior Mechanic
237	Pipe Fitter
238	Supervisor
239	Drafts Man
240	Wireman
241	Timber Man/Timber Mistry Elect.
242	Stone Crusher Operator
243	Crusher Operator
244	Moulder
245	Welder
246	Operator
247	Work Mistry
248	Engine Driver
249	Mining Engine Driver Grade -II
250	Engineman
251	Valveman
252	Cutter
253	Winding Engine Driver Grade - II
254	Security Guard (Unarmed) /Head Chowkidar
255	Shovel Operator
256	Limco Loader Operator
257	Surface Supervisor
258	Dozer Operator
259	Compressor Driller
260	Dumper Tractor Operator
261	Boiler Man (with Certificate)
262	Machinery Attendant
263	Air-conditions Mechanic
264	Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines
265	Power Shovel Operator
266	Power and Pump House Operator
267	Miner Grade - I
268	Tractor Operator 80. Tub Repairer 81. Lathe Mistry
269	Stationery Engine Attendant 83. Generator Operator 84. Loading Foreman
270	Diesel Mechanic
271	Ferro Printer cum-chairman
272	White Washing and Colour Washing Man
273	Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter)
274	Boreman
275	Borer
276	Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical)

S. No.

HIGHLY SKILLED

1	Artificer Class I
2	Blacksmith Class I
3	Carpenter Class I
4	Machine
5	Hand Class I
6	Mason Class I
7	Mechanic (Senior)
8	Painter (Grade I, Class I, Spray) Plasterer (Mason) Class I
9	Plumber (Head, class I)
10	Mistry Grade I
11	Polisher (with spray Grade I)
12	Road Inspector Grade I
13	Sawyer Class I
14	Stone Cutter Class I
15	Stone Cutter Grade I
16	Stone Chisler Class I
17	Stone Mason Class I
18	Sub-Overseer (Qualified)
19	Tiler Class I
20	Tinsmith Grade I and Class I
21	Upholsterer Grade I
22	Varnisher Class I
23	Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic
24	Welder (Gas) Class I
25	White Washer Class I
26	Wireman Grade I, Class I
27	Wood Cutter Class I
28	Grinder (Tool) Grade I
29	Operator (Batching Plant Grade I)
30	Leader Grade I
31	Pile Driving Grade I
32	Pump Grade
33	Scraper Grade I
34	Screening Plant Grade I
35	Pump Grade I
36	Scraper Grade I
37	Security Guards (with arms)
38	Armature Winder Grade I

39	Blacksmith Grade I and Class I
40	Boilerman Grade I
41	Boilerman Foreman Grade I
42	Brick Layer class I
43	Cable Joiner Grade I
44	Carpenter grade I and Class I
45	Celo Cutter and Decorator
46	Chargeman Class I
47	Checker (Sr) Driver Lorry Grade I
48	Motor Lorry Grade I
49	Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I
50	Road Roller Grade I
51	Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I
52	Fitter (Grade I, Class I)
53	Pipe Class I (Head)
54	Foreman(Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I)
55	Mast Rig
56	Mechanic Class I and Class II
57	Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I
58	Airconditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I
59	Mistry (Airconditioning Grade I)
60	Overseer
61	Overseer (Senior and Junior)
62	Dragline Grade I
63	Drill Grade I
64	Dumper Grade I
65	Excavator Grade I
66	Fork Lift Grade I
67	Generator Grade I
68	Rigger Grade I
69	Rigger Grade II
70	Charper/Sletter Grade I
71	Shovel and Dragline Tractor Grade I
72	Tradesman Class I
73	Turner/Miller Grade I
74	Work (Assistant) Grade I
75	Compounder
76	Surveyor
77	Winding Engine Driver
78	Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)
79	Head Mistry
80	Staff Nurse with Diploma

- 81 Drill Operator other than Jack Hammer
- 82 Electrical Supervisor with Competency Certificate
- 83 Underground Shift Boss
- 84 Head Mechanic
- 85 Qualified and Experienced Welder
- 86 Machine Tool Mechanic
- 87 Mechanical/Plant Foreman
- 88 Mining Supervisor
- 89 Vocational Training Instructor/Teacher
- 90 Head Electrician
- 91 Auditor
- 92 Steno with 7 years of service
- 93 Store Incharge
- 94 Shift Incharge
- 95 Supervisor
- 96 Incharge of Watch and Ward
- 97 Security Guard (Armed)
- 98 Crane Grade I
- 99 Diesel Engine Grade I
- 100 Dozer Grade I
- 101 Clamp Shell Grade I
- 102 Compressor Grade I
- 103 Grader Grade I
- 104 Tractor Grade I
- 105 Vibrator Grade I
- 106 Screening Plant Grade I
- 107 Shovel Grade I
- 108 Shovel and Dragline
- 109 Tyrevulcanser Grade I
- 110 Security Guard (with Arms) and other categories by whatever name called which are of Highly- skilled nature.

By Order,

DR. SRIDHAR BABU ADDANKI,
Secretary.